

भारतीय न्यायपालिका प्रणाली INDIAN JUDICIARY SYSTEM



Indian Judiciary System

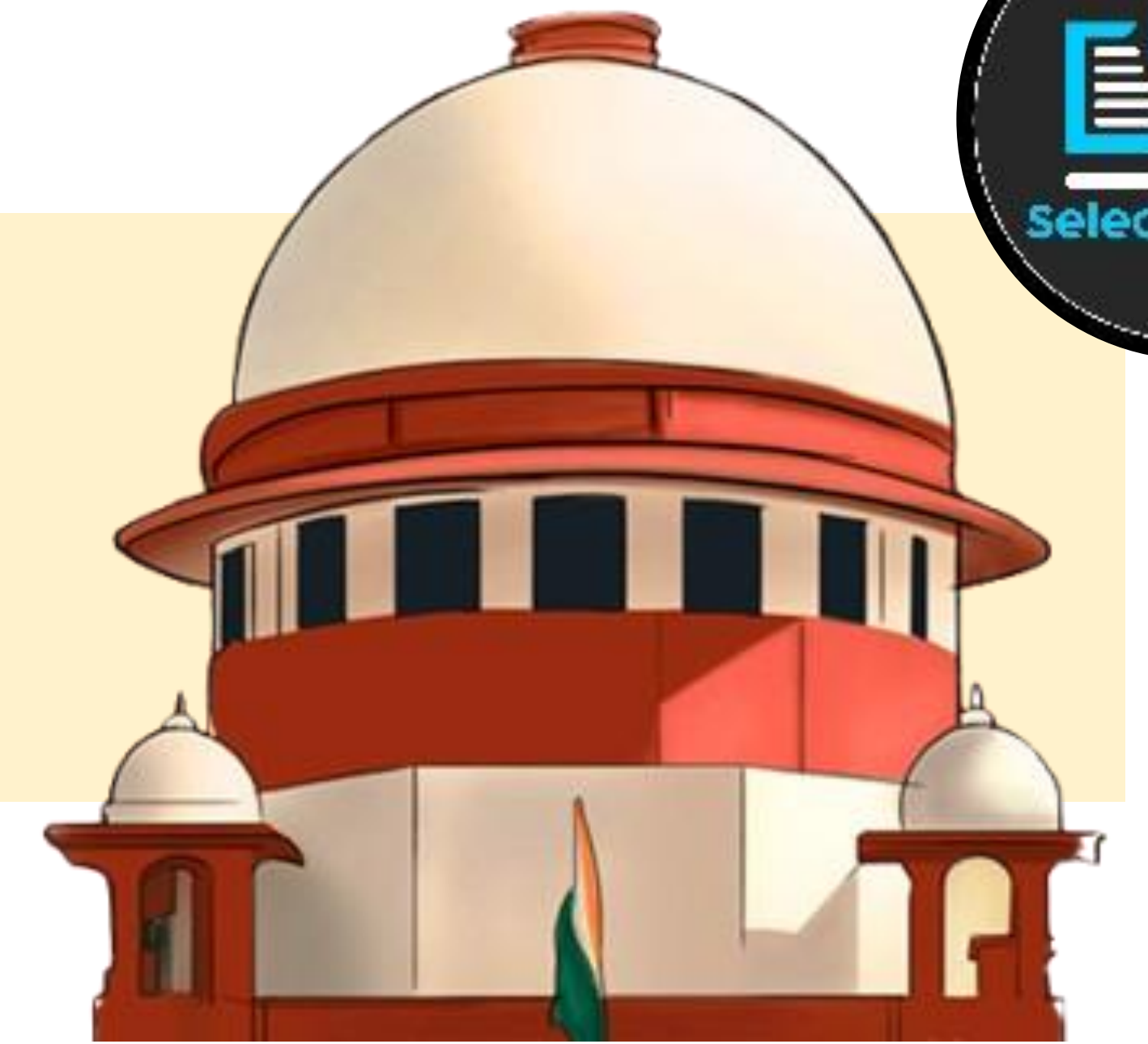
Supreme Court

High Court

District court



Supreme Court



- The Supreme Court of India is the highest judicial court and the final court of appeal under the Constitution of India.
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय तथा अंतिम अपीलीय न्यायालय है।
- India is a federal State and has a single and unified judicial system with three-tier structure, i.e. Supreme Court, High Courts and Subordinate Courts.
- भारत एक संघीय राज्य है और यहाँ एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसमें तीन-स्तरीय संरचना है, अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय।

Habeas Corpus:



- It is an order issued by the court to a person who has detained another person, to produce the body of the latter before it. Hence this is against arbitrary detention. This can be issued to a private person or public authorities.
- यह न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया गया आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, कि वह उस व्यक्ति का शव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। अतः यह मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध है। यह किसी निजी व्यक्ति या सार्वजनिक प्राधिकारियों को जारी किया जा सकता है।

Mandamus (परमादेश):

- (To Command) Issued to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform.
- (आदेश देना) किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके उन आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है जिन्हें वह पूरा करने में विफल रहा है या करने से इनकार कर दिया है।

Prohibition (प्रतिषेध):

- (to forbid) Issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess
- (निषेध करना) किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है ताकि वह अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करे या किसी ऐसे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

Certiorari (उत्प्रेषण):

- (To be certified or to be informed) Issued by a higher court to a lower court or tribunal either to transfer case pending with the latter to it or to squash the order of the latter in a case.
- (प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना) किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है ताकि उसके पास लंबित किसी मामले को या तो उसे स्थानांतरित किया जा सके या किसी मामले में उसके आदेश को रद्द किया जा सके।



Quo-warranto: By what Authority?



It is issued by a court to enquire into the legality of claim of a person to a public office.

यह किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।

□ Brief History of Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालय का संक्षिप्त इतिहास:

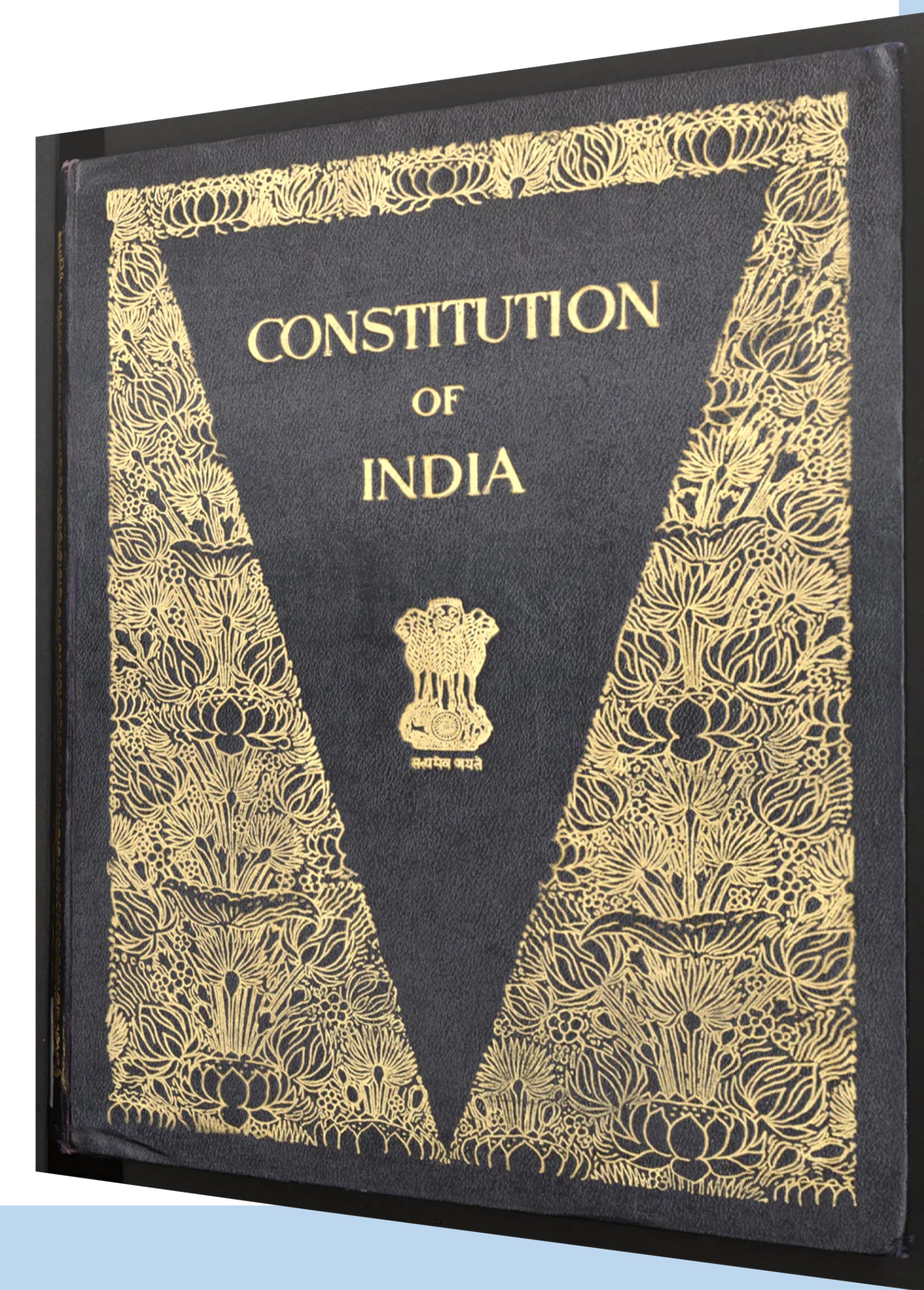


- The promulgation of Regulating Act of 1773 established the Supreme Court of Judicature at Calcutta as a Court of Record, with full power & authority.
- 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act) के प्रख्यापन द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर की स्थापना एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में पूर्ण शक्ति और अधिकार के साथ की गई।
- It was established to hear and determine all complaints for any crimes and also to entertain, hear and determine any suits or actions in Bengal, Bihar and Orissa.
- इसे किसी भी अपराध से संबंधित सभी शिकायतों की सुनवाई और निर्णय करने तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसी भी वाद या मुकदमे की सुनवाई और निर्णय करने के लिए स्थापित किया गया था।
- The Supreme Courts at Madras and Bombay were established by King George III in 1800 and 1823 respectively.
- मद्रास और बंबई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्रमशः 1800 और 1823 में किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा की गई।
- The India High Courts Act 1861 created High Courts for various provinces and abolished Supreme Courts at Calcutta, Madras and Bombay and also the Sadar Adalats in Presidency towns.
- 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम (India High Courts Act, 1861) ने विभिन्न प्रांतों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना की और कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई के सुप्रीम कोर्ट तथा प्रेसिडेंसी नगरों के सदर अदालतों को समाप्त कर दिया।
- These High Courts had the distinction of being the highest Courts for all cases till the creation of Federal Court of India under the Government of India Act 1935.
- ये उच्च न्यायालय 1935 के भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act, 1935) के अंतर्गत संघीय न्यायालय (Federal Court of India) की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय रहे।
- After India attained independence in 1947, the Constitution of India came into being on 26 January 1950.
- 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ।
- The Supreme Court of India also came into existence and its first sitting was held on 28 January 1950.
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को आयोजित की गई।
- The law declared by the Supreme Court is binding on all Courts within the territory of India.
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है।

Constitutional Provisions



- The Indian Constitution provides for a provision of Supreme Court under Part V (The Union) and Chapter 6 (The Union Judiciary).
- भारतीय संविधान में भाग V (संघ) और अध्याय 6 (संघीय न्यायपालिका) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है।
- Articles 124 to 147 in Part V of the Constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, powers and procedures of the Supreme Court.
- संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार-क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
- Article 124(1) states that there shall be a Supreme Court of India constituting of a Chief Justice of India (CJI).
- अनुच्छेद 124(1) में यह प्रावधान है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) होंगे।



Organizational Structure of Supreme Court



- Originally, the strength of the Supreme Court was fixed at eight (1 + 7).
- प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या आठ (1 + 7) निर्धारित की गई थी।
- At present, the Supreme Court consists of thirty-four judges (1 + 33).
- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश (1 + 33) हैं।
- Supreme Court (Number of Judges) Bill, 2019 has added four judges to the strength. It increased the judicial strength from 31 to 34, including the CJI.
- सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक, 2019 द्वारा चार न्यायाधीशों की वृद्धि की गई, जिससे कुल संख्या 31 से बढ़कर 34 हो गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल हैं।

Seat of Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय:

- The Constitution declares Delhi as the seat of the Supreme Court.
- संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय घोषित करता है।
- It also authorizes the CJI to appoint other place or places as seat of the Supreme Court.
- यह मुख्य न्यायाधीश (CJI) को अन्य स्थान या स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय का आसन (seat) निर्धारित करने का अधिकार भी देता है।
- He can take decision in this regard only with the approval of the President.
- इस संबंध में वे केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही निर्णय ले सकते हैं।

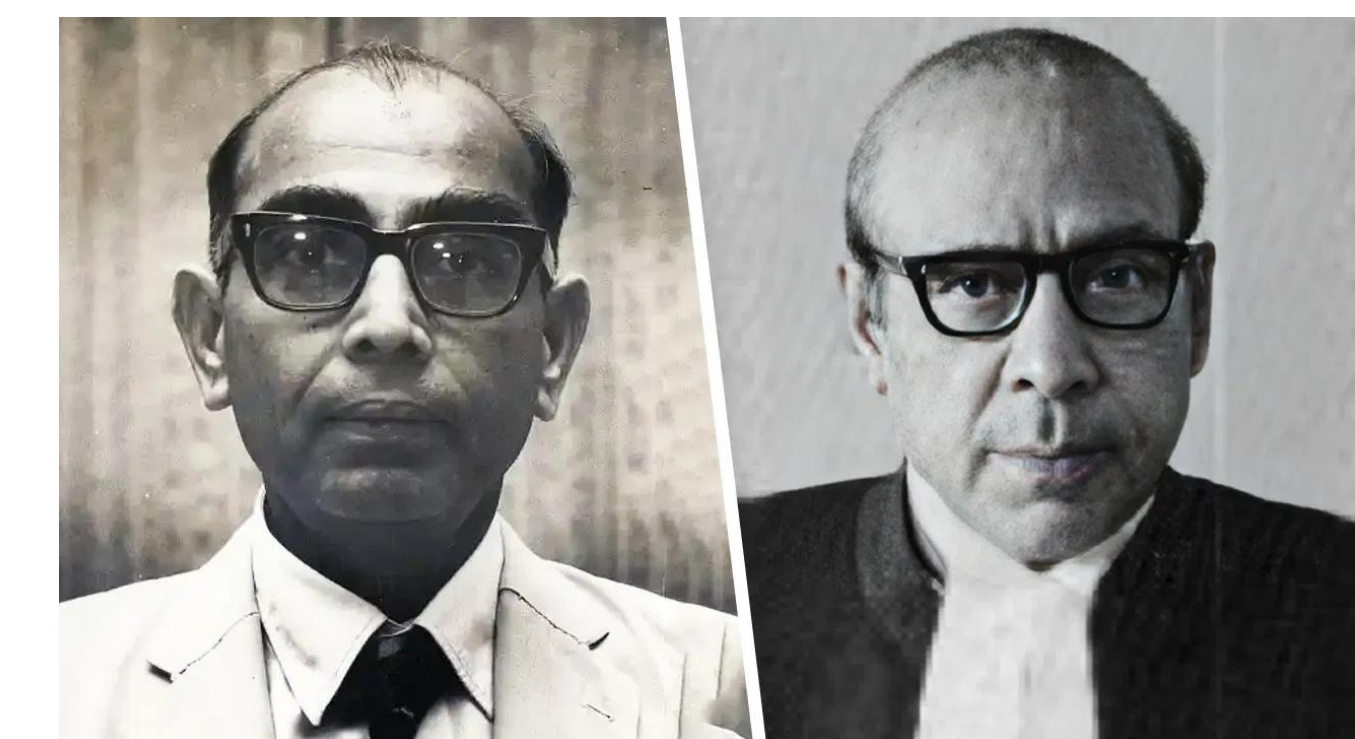


Appointment of judges

जजों की नियुक्ति



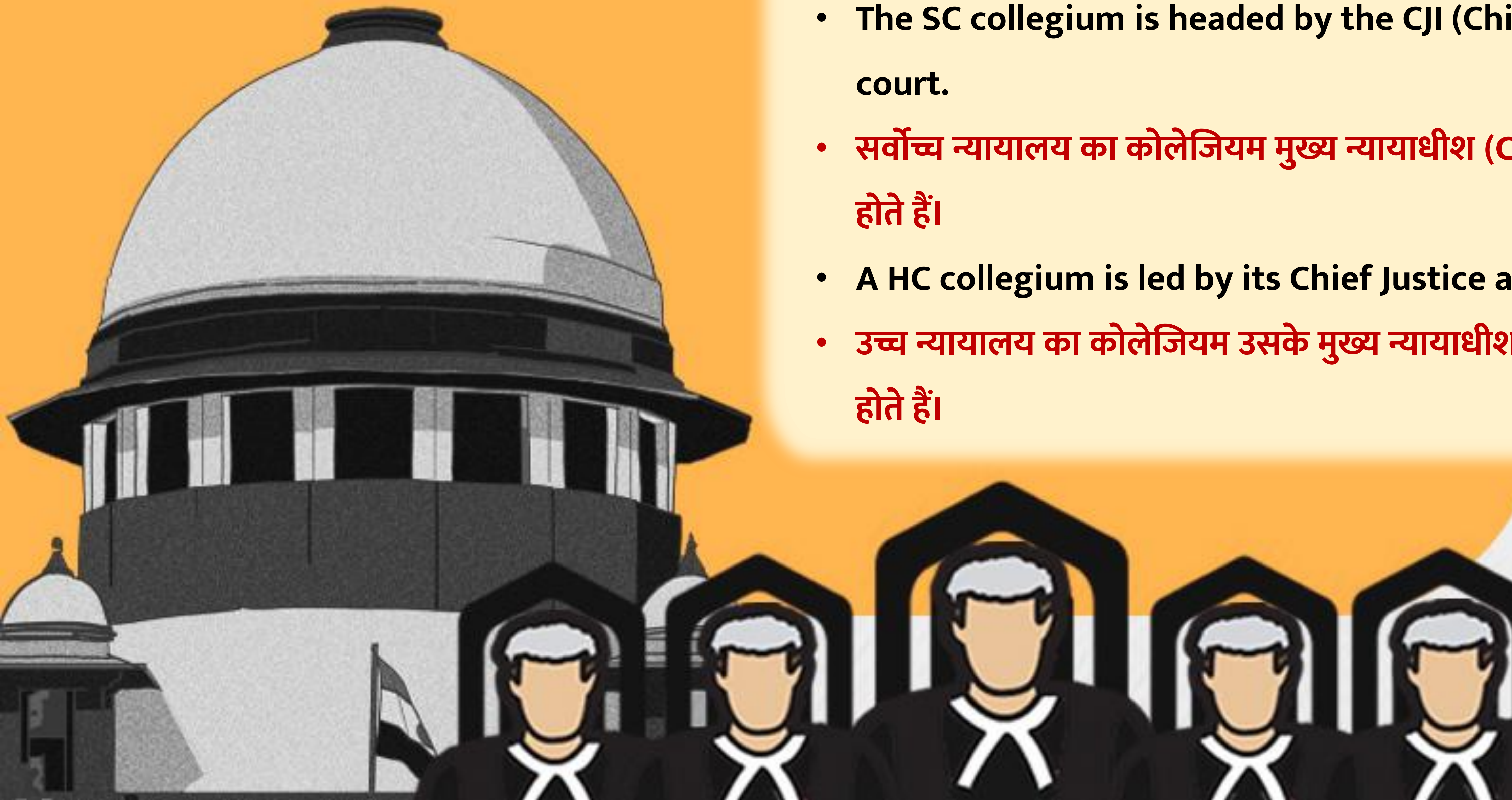
- The judges of the Supreme Court are appointed by the President.
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- The CJI is appointed by the President after consultation with such judges of the Supreme Court and High Courts as he deems necessary.
- मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है, जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं।
- Appointment of Chief Justice From 1950 to 1973: The practice has been to appoint the senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice of India.
- 1950 से 1973 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति: परंपरा यह रही कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था।
- This established convention was violated in 1973 when A. N. Ray was appointed as the Chief Justice of India by superseding three senior judges.
- यह स्थापित परंपरा 1973 में भंग हुई जब ए. एन. रे को तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को दरकिनार कर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- Again in 1977, M. U. Beg was appointed as the Chief Justice of India by superseding the then senior-most judge.
- फिर 1977 में एम. यू. बेग को उस समय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को दरकिनार कर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- This discretion of the government was curtailed by the Supreme Court in the Second Judges Case (1993), in which the Supreme Court ruled that the senior most judge of the Supreme Court should alone be appointed to the office of the Chief Justice of India.
- सरकार के इस विवेकाधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश प्रकरण (Second Judges Case), 1993 में सीमित कर दिया, जिसमें निर्णय दिया गया कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।



Collegium System



- Collegium system was born through “Three Judges Case” and it is in practice since 1998.
- कोलेजियम प्रणाली का उद्भव “तीन न्यायाधीश प्रकरण” (Three Judges Case) से हुआ और यह 1998 से प्रचलन में है।
- It is used for appointments and transfers of judges in High Courts and Supreme Court.
- इसका उपयोग उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए किया जाता है।
- There is no mention of the Collegium either in the original Constitution of India or in successive amendments.
- कोलेजियम का उल्लेख न तो मूल भारतीय संविधान में है और न ही बाद के किसी संशोधन में।
- The SC collegium is headed by the CJI (Chief Justice of India) and comprises four other senior-most judges of the court.
- सर्वोच्च न्यायालय का कोलेजियम मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता में होता है और इसमें न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- A HC collegium is led by its Chief Justice and four other senior-most judges of that court.
- उच्च न्यायालय का कोलेजियम उसके मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में होता है और उसमें उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।



- Through the 99th Constitutional Amendment Act, 2014, the National Judicial Appointments Commission (NJAC) was established to replace the collegium system for the appointment of judges.
- 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की गई।

- However, the Supreme Court upheld the collegium system and struck down the NJAC as unconstitutional on the grounds that the involvement of the Political Executive in judicial appointment was against the “Principles of Basic Structure”, i.e., the “Independence of Judiciary.”
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कोलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यह कहते हुए कि न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी “मूल संरचना के सिद्धांत” अर्थात् “न्यायपालिका की स्वतंत्रता” के विरुद्ध है।

Qualification for appointment of judge



❑ A person to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualifications:

❑ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:

- He should be a citizen of India.
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- He should have been a judge of a High Court (or High Courts in succession) for five years; or
- वह किसी उच्च न्यायालय (या क्रमशः उच्च न्यायालयों) में कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो; या
- He should have been an advocate of a High Court (or High Courts in succession) for ten years; or
- वह किसी उच्च न्यायालय (या क्रमशः उच्च न्यायालयों) में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो; या
- He should be a distinguished jurist in the opinion of the President.
- राष्ट्रपति की दृष्टि में वह एक विशिष्ट विधिवेत्ता (distinguished jurist) होना चाहिए।

- The Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the Supreme Court
- संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है



Oath and Affirmation of judges

न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान



- The judges have to take oath before the President or any person appointed by the President for this.
- न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस हेतु नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है।
- In his oath, a judge of the Supreme Court swears:
- अपनी शपथ में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यह प्रतिज्ञा करता है:
- to bear true faith and allegiance to the Constitution of India;
- कि वह भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखेगा;
- to uphold the sovereignty and integrity of India;
- कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा;
- to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgement to perform the duties of the Office without fear or favour, affection or ill-will; and
- कि वह बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के, अपनी पूर्ण क्षमता, ज्ञान और विवेक के अनुसार अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा; और
- to uphold the Constitution and the laws.
- कि वह संविधान और कानूनों की रक्षा करेगा।



Tenure of Judges

- The Constitution has not fixed the tenure of a judge of the Supreme Court. However, it makes the following three provisions in this regard:
- संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है। तथापि, इस संबंध में निम्नलिखित तीन प्रावधान किए गए हैं:
 - He holds office until he attains the age of 65 years.
 - वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहता है।
 - He can resign his office by writing to the President.
 - वह राष्ट्रपति को लिखित रूप में त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है।
 - He can be removed from his office by the President on the recommendation of the Parliament.
 - उसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।



Removal of Judges



- A judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of the President.
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- The President can issue the removal order only after an address by Parliament has been presented to him in the same session for such removal.
- राष्ट्रपति हटाने का आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद द्वारा उसी सत्र में इस उद्देश्य से एक अभिभाषण (address) उन्हें प्रस्तुत किया गया हो।
- The address must be supported by a special majority of each House of Parliament (i.e. a majority of the total membership of that House and a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting).
- यह अभिभाषण संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए (अर्थात् उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का बहुमत)।
- The Judges Enquiry Act (1968) regulates the procedure relating to the removal of a judge of the Supreme Court by the process of impeachment.
- न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 (Judges Enquiry Act, 1968) महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करता है।

- The word 'impeachment' is not used in the constitution in relation to the removal of judges. However it is used only in the case of President.
- जजों को हटाने के लिए संविधान में 'इंपीचमेंट' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि, इसका इस्तेमाल सिर्फ़ प्रेसिडेंट के मामले में किया जाता है।
- No judge of the Supreme Court has been impeached so far. Impeachment motions of Justice V Ramaswami (1991–1993) and the Justice Dipak Misra (2017-18) were defeated in the Parliament
- अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पर महाभियोग नहीं लगाया गया है. जस्टिस वी रामास्वामी (1991-1993) और जस्टिस दीपक मिश्रा (2017-18) के महाभियोग प्रस्ताव संसद में हार गए थे.

Salaries and allowances of Judges



- The salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of the Supreme Court are determined from time to time by the Parliament.
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

Jurisdiction and power of Supreme Court

Original Jurisdiction (मूल अधिकार-क्षेत्र)



- As a Federal Court, the Supreme Court decides disputes between different units of the Indian Federation.
- एक संघीय न्यायालय के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का निर्णय करता है।
- the Centre and one or more States; or
- केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच; या
- the Centre and any State or States on one side and one or more States on the other; or
- केंद्र तथा एक या अधिक राज्य एक पक्ष में और एक या अधिक राज्य दूसरे पक्ष में; या
- between two or more States.
- दो या अधिक राज्यों के बीच।
- the Supreme Court has exclusive original jurisdiction.
- इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को विशिष्ट (Exclusive) मूल अधिकार-क्षेत्र प्राप्त है।

Exclusive means, no other court can decide such disputes and original means, the power to hear such disputes in the first instance, not by way of appeal.

एक्सक्लूसिव का मतलब है, कोई दूसरा कोर्ट ऐसे झगड़ों पर फैसला नहीं कर सकता और ऑरिजिनल का मतलब है, ऐसे झगड़ों को पहली बार सुनने का अधिकार, अपील के ज़रिए नहीं।

Writ Jurisdiction



- The Supreme Court is empowered to issue writs, including habeas corpus, mandamus, prohibition, quo-warranto and certiorari for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen.
- सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिनमें हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus), मण्डामस (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), क्वो-वारंटो (Quo Warranto) और सर्टियोरारी (Certiorari) शामिल हैं, ताकि किसी पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सके।
- However, the writ jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive. The High Courts are also empowered to issue writs for the enforcement of the Fundamental Rights.
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार-क्षेत्र विशिष्ट (exclusive) नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
- The writ jurisdiction of High Court is broader than the Supreme Court.
- उच्च न्यायालय का रिट अधिकार-क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है।





Appellate jurisdiction



- The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgements of the lower courts.
- सर्वोच्च न्यायालय मुख्यतः एक अपीलीय न्यायालय है और निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।

It enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under four heads:

इसे व्यापक अपीलीय अधिकार-क्षेत्र प्राप्त है, जिसे चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- Appeals in constitutional matters (संवैधानिक मामलों में अपीलें)
- Appeals in civil matters (दीवानी मामलों में अपीलें)
- Appeals in criminal matters (फौजदारी मामलों में अपीलें)
- Appeals by special leave (विशेष अनुमति द्वारा अपीलें)



Advisory Jurisdiction



- The Constitution under Article 143 authorizes the President to seek the opinion of the Supreme Court in the two categories of matters:
- संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दो प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है:
- On any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise.
- किसी भी ऐसे विधि या तथ्य के प्रश्न पर, जो सार्वजनिक महत्व का हो और जो उत्पन्न हुआ हो या होने की संभावना हो।
- On any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instruments.
- किसी भी ऐसे विवाद पर, जो संविधान-पूर्व किसी संधि, समझौते, वचन, प्रतिबद्धता, सनद या अन्य समान साधनों से उत्पन्न हुआ हो।

Supreme Court as a Court of Record:

सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में: _ _



- As a Court of Record, the Supreme Court has two powers:
- अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियाँ होती हैं:
- The judgements, proceedings and acts of the Supreme Court are recorded for perpetual memory and testimony.
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाहियाँ और कृत्य स्थायी अभिलेख एवं प्रमाण के रूप में दर्ज किए जाते हैं।
- These records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court.
- ये अभिलेख साक्ष्यात्मक मूल्य (evidentiary value) रखते हैं और किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
- They are recognized as legal precedents and legal references.
- इन्हें विधिक मिसाल (legal precedents) और विधिक संदर्भ (legal references) के रूप में मान्यता प्राप्त होती है।
- It has power to punish for contempt of court, either with simple imprisonment for a term up to six months or with fine up to Rs. 2,000 or with both.
- इसे न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति है, जिसमें अधिकतम छह माह का साधारण कारावास या 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।



Power of Judicial Review



- Judicial review is the power of the Supreme Court to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the Central and State governments.
- न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिनियमों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता की जाँच करता है।
- On examination, if they are found to be violative of the Constitution (ultra-vires), they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid (null and void) by the Supreme Court.
- जाँच के पश्चात यदि वे संविधान के विरुद्ध (Ultra Vires) पाए जाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध, असंवैधानिक और अमान्य (शून्य एवं शून्य) घोषित कर सकता है।

Contempt of Courts



- Contempt of Court refers to any acts or omissions that impede the functioning of a court of law in any manner.
- न्यायालय की अवमानना से आशय ऐसे किसी भी कृत्य या चूक से है जो किसी न्यायालय के कार्य में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करे।
- In India, the procedures and punishments related to contempt of courts are regulated by the Contempt of Courts Act, 1971.
- भारत में न्यायालय की अवमानना से संबंधित प्रक्रियाएँ और दंड अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

As per the Act, contempt of courts can be of 2 types:
अधिनियम के अनुसार, न्यायालय की अवमानना दो प्रकार की होती है:

a. Civil Contempt: It refers to
सिविल अवमानना: इसका अर्थ है:

- Wilful disobedience to any judgment, order, writ, or other process of a court; or
- किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवहेलना करना; या
- Wilful breach of an undertaking given to a court.
- न्यायालय को दिए गए आश्वासन का जानबूझकर उल्लंघन करना।

b. Criminal Contempt: It refers to the publication of any matter or doing an act that
आपराधिक अवमानना: इसका अर्थ है किसी विषय का प्रकाशन करना या ऐसा कार्य करना जो:

- scandalizes or lowers the authority of a court; or
- न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाए या उसकी प्राधिकृति को कम करे; या
- prejudices or interferes with the due course of a judicial proceeding; or
- न्यायिक कार्यवाही की उचित प्रक्रिया में पक्षपात उत्पन्न करे या हस्तक्षेप करे; या
- interferes or obstructs the administration of justice in any other manner.
- किसी अन्य प्रकार से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न करे।



Judge

Magistrate



WHAT IS THE DIFFERENCE?

Comparison b/w Indian and American Supreme Court



Indian SC

- Its original jurisdiction is confined to federal cases.
- इसका मूल अधिकार-क्षेत्र केवल संघीय मामलों तक सीमित है।
- Its appellate jurisdiction covers constitutional, civil and criminal cases.
- इसका अपीलीय अधिकार-क्षेत्र संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों को शामिल करता है।
- It has a very wide discretion to grant special leave to appeal in any matter against the judgement of any court or tribunal.
- किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध किसी भी मामले में विशेष अनुमति से अपील (Special Leave) देने का इसे व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त है।
- It has advisory jurisdiction.
- इसे परामर्शदात्री (Advisory) अधिकार-क्षेत्र प्राप्त है।
- Its scope of judicial review is limited.
- इसके न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का दायरा सीमित है।
- It defends rights of the citizen according to 'procedure established by law'.
- यह 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- Its jurisdiction and powers can be enlarged by Parliament.
- संसद इसके अधिकार-क्षेत्र और शक्तियों का विस्तार कर सकती है।
- It has power of judicial superintendence and control over State High Courts due to integrated judicial system.
- एकीकृत न्यायिक प्रणाली के कारण इसे राज्य उच्च न्यायालयों पर न्यायिक अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है।

American SC

- Its original jurisdiction covers not only federal cases but also cases related to naval forces, maritime activities, ambassadors, etc.
- इसका मूल अधिकार-क्षेत्र केवल संघीय मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नौसैनिक बलों, समुद्री गतिविधियों, राजदूतों आदि से संबंधित मामलों को भी शामिल करता है।
- Its appellate jurisdiction is confined to constitutional cases only.
- इसका अपीलीय अधिकार-क्षेत्र केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है।
- It has no such plenary power.
- इसके पास ऐसा कोई पूर्ण (Plenary) अधिकार नहीं है।
- It has no advisory jurisdiction.
- इसे परामर्शदात्री (Advisory) अधिकार-क्षेत्र प्राप्त नहीं है।
- Its scope of judicial review is very wide.
- इसके न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का दायरा बहुत व्यापक है।
- It defends rights of the citizen according to the 'due process of law'.
- यह 'विधि द्वारा उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- It has no such power due to double (or separated) judicial system.
- द्वैध (या पृथक) न्यायिक प्रणाली के कारण इसके पास ऐसी शक्ति नहीं है।

Acting Judge

- The President can also appoint a duly qualified person as an acting judge of a High Court when a judge of that High Court is:
- राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय का कार्यवाहक (Acting) न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, जब उस उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश:
- unable to perform the duties of his/her office due to absence or any other reason; or
- अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो; या
- appointed to act temporarily as Chief Justice of that High Court.
- उसी उच्च न्यायालय का अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो।
- An acting judge holds office until the permanent judge resumes his/her office. However, he/she cannot hold office after attaining the age of 62 years.
- कार्यवाहक न्यायाधीश तब तक पद पर बना रहता/रहती है जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता/लेती। तथापि, वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रह सकता/सकती।

Additional Judge

- The President can appoint duly qualified persons as additional judges of a High Court for a temporary period not exceeding two years when:
- राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय में विधिवत योग्य व्यक्तियों को अधिकतम दो वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए अतिरिक्त (Additional) न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जब:
- there is a temporary increase in the business of the High Court;
- उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि हो;
- there are arrears of work in the High Court.
- उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का भार (arrears) अधिक हो।
- An additional judge cannot hold office after attaining the age of 62 years.
- एक अतिरिक्त न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रह सकता/सकती।

Retired Judge

- The Chief Justice of a High Court of a State can request a retired judge of that High Court or any other High Court to act as a judge of the High Court of that State for a temporary period.
- किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उस राज्य के उच्च न्यायालय में अस्थायी अवधि के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।
- The Chief Justice of a High Court of a State can do so only with the previous consent of the President and also of the person to be so appointed.
- मुख्य न्यायाधीश ऐसा केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति तथा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सहमति से ही कर सकते हैं।
- Allowances of such a judge are determined by the President of India.
- ऐसे न्यायाधीश के भत्ते भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
- He/She enjoys all the jurisdiction, powers, and privileges of a judge of that High Court. But, he/she will not otherwise be deemed to be a judge of that High Court.
- वह उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार-क्षेत्र, शक्तियों और विशेषाधिकारों का उपभोग करता/करती है, परंतु अन्यथा उसे उस उच्च न्यायालय का नियमित न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

Important Articles Related to Supreme Court

Article 124

- Establishment and constitution of Supreme Court.
- सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन।

Article 125

- Salaries of judges./न्यायाधीशों का वेतन।



Article 126

- Appointment of Acting Judges./कार्यवाहक (Acting) न्यायाधीशों की नियुक्ति।

Article 127

- **Appointment of Ad-Hoc judges./एड-हॉक (Ad-Hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति।**

Article 128

- **Attendance of Retired Judges./सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति।**



Article 129

- **Supreme Court as a Court of Record./सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में।**

Article 130

- **Seat of Supreme Court./सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय (Seat)।**

Article 131

- **Original Jurisdiction of Supreme Court./सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार-क्षेत्र।**

Article 132

- **Appellate Jurisdiction of Supreme Court (Constitutional matters).**
- सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार-क्षेत्र (संवैधानिक मामले)।



Article 133

- **Appellate Jurisdiction of Supreme Court (Civil matters).**
- सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार-क्षेत्र (दीवानी मामले)।

Article 134

- **Appellate Jurisdiction of Supreme Court (Criminal matters).**
- सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार-क्षेत्र (आपराधिक मामले)।

Article 134A

- **Certificate for appeal to the Supreme Court.**
- सर्वोच्च न्यायालय में अपील हेतु प्रमाण-पत्र।



Article 135

- **Jurisdiction and powers of the Federal Court under existing law to be exercisable by the Supreme Court.**
- वर्तमान कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र और शक्तियाँ, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाएगा।

Article 136

- **Special leave to appeal by the Supreme Court.**
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति से अपील।

★ Article 137 ★

- Review of Judgements or Orders by the Supreme Court.
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की पुनरावलोकन (Review)।

★ Article 138 ★

- Enlargement of Jurisdiction of the Supreme Court.
- सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र का विस्तार।



★ Article 139 ★

- Conferment on the Supreme Court of power to issue certain writs.
- सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना।

★ Article 140 ★

- Ancillary power of Supreme Court.
- सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ।

Article 141

- Law declared by Supreme Court to be binding on all courts.
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी।

Article 142

- Enforcement of decrees and orders.
- डिक्री (Decrees) और आदेशों का प्रवर्तन।



Article 143

- Power of President to consult Supreme Court.
- राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति।

Article 144

- Civil and Judicial authorities to act in aid of the Supreme Court.
- सभी नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

Article 145

- Rules of Court, etc.
- न्यायालय के नियम आदि।



Article 146

- Officers and servants and the expenses of the Supreme Court.
- सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा उसके व्यय।

Article 147 :

Interpretation.





High Courts



- The High Court is the apex court in the judicial administration of a State under the integrated judicial system established by the Constitution of India.
- उच्च न्यायालय भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एकीकृत न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्य की न्यायिक प्रशासन व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायालय है।
- As per Article 214 of the Constitution, every State or Union Territory is mandated to establish at least one High Court, ensuring access to justice across the country.
- संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक उच्च न्यायालय की स्थापना अनिवार्य है, जिससे पूरे देश में न्याय तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।



Brief History of High Court/उच्च न्यायालय का संक्षिप्त इतिहास:



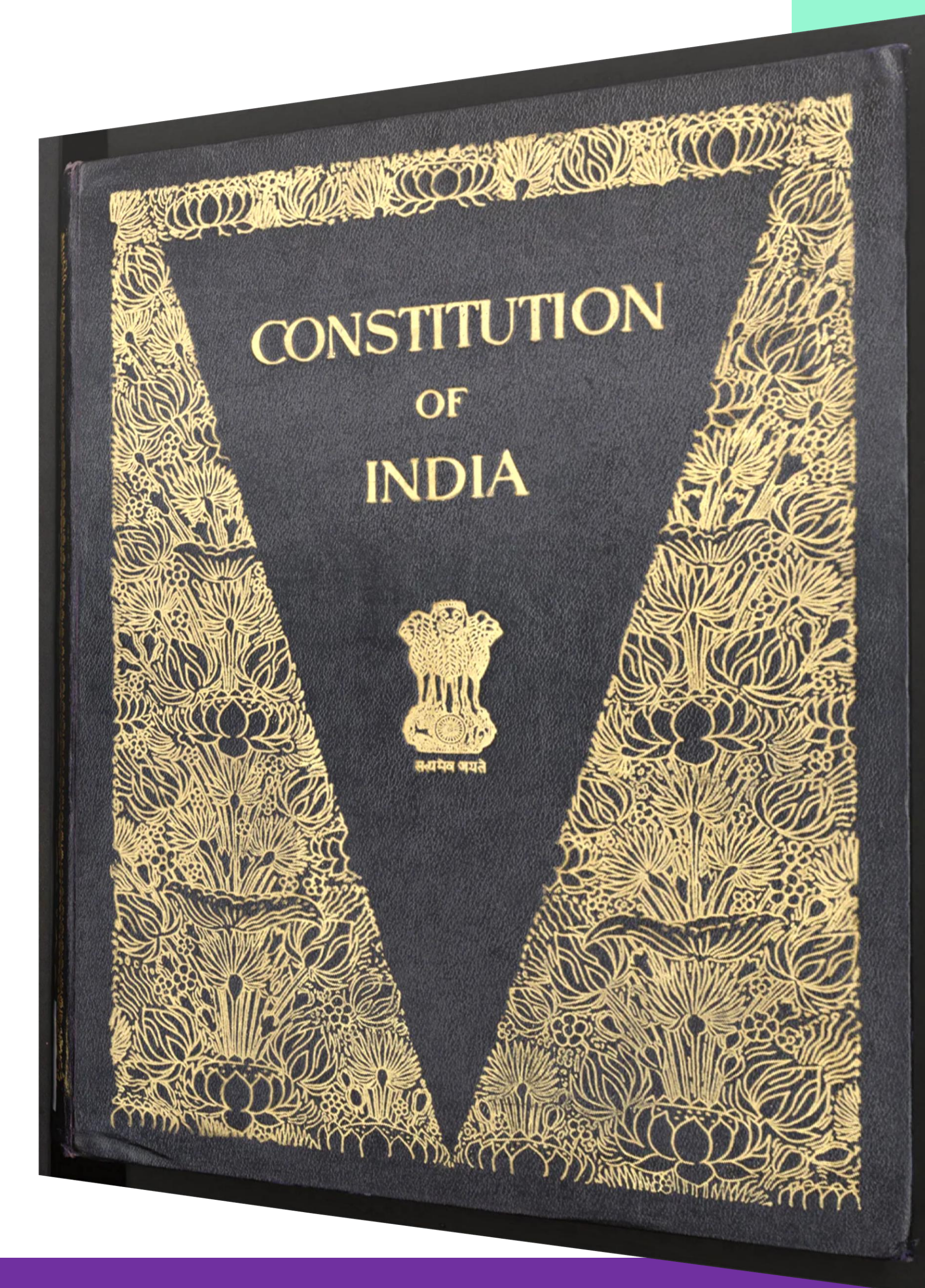
- The institution of High Court originated in India in 1862 when the High Courts were set up in Calcutta, Bombay, and Madras.
- भारत में उच्च न्यायालय की संस्था की शुरुआत 1862 में हुई, जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए।
- In 1866, a fourth High Court was established at Allahabad.
- 1866 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया।
- In the course of time, each province in British India came to have its own High Court.
- समय के साथ ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय हो गया।
- After 1950, a High Court existing in a province became the High Court for the corresponding State.
- 1950 के बाद किसी प्रांत में विद्यमान उच्च न्यायालय उस संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया।



Constitutional Provisions of High Court



- Articles 214 to 231 in Part VI of the Indian Constitution deal with the provisions related to the High Courts.
- भारतीय संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है।
- The constitutional provisions mentioned under these articles deal with the organization, independence, jurisdiction, powers, and procedures of the High Courts.
- इन अनुच्छेदों के अंतर्गत उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार-क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।



Territorial Jurisdiction of High Court

उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र



- The Constitution of India provides for a High Court for each State.
- भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है।
- However, the 7th Constitutional Amendment Act of 1956 authorized the Parliament to establish a common High Court for two or more States or for two or more States and a Union Territory.
- हालाँकि, 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद को दो या अधिक राज्यों या दो या अधिक राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा (Common) उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया।

For example – The Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have a common High Court.
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का एक साझा उच्च न्यायालय है।

- The territorial jurisdiction of a High Court is co-terminus with the territory of a State.
- उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र राज्य की भौगोलिक सीमा के समान (co-terminus) होता है।
- The territorial jurisdiction of a common High Court is co-terminus with the territory of a State as well as a Union Territory.
- साझा उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की सीमा के समान होता है।
- The Parliament can extend the jurisdiction of a High Court to any Union Territory or exclude the jurisdiction of a High Court from any Union Territory.
- संसद किसी उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित कर सकती है या किसी केंद्र शासित प्रदेश से उसके अधिकार-क्षेत्र को बाहर कर सकती है।

❑ Composition of High Court:

❑ उच्च न्यायालय की संरचना:

- The Constitution does not specify the strength of a High Court and leaves it to the discretion of the President.
- संविधान उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या निर्दिष्ट नहीं करता और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ता है।
- Every High Court consists of a Chief Justice and such other Judges as determined by the President.
- प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
- The President determines the strength of a High Court from time to time depending upon the workload of the High Court.
- राष्ट्रपति समय-समय पर उच्च न्यायालय के कार्यभार के अनुसार उसकी न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं।

❑ Appointment of Chief Justice of High Court:

❑ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:

- The Chief Justice is appointed by the President after consultation with the Governor of the concerned State and the Chief Justice of India.
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती है।

❑ Appointment of Other Judges of High Court:

❑ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति:

- Other Judges of the High Court are appointed by the President after consultation with the Governor of the State, the Chief Justice of India, and the Chief Justice of the concerned High Court.
- उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती है।
- In the case of a common High Court for two or more States, the Governors of all the States concerned are consulted by the President of India.
- यदि दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो, तो भारत के राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करते हैं।



Qualifications of Judges of High Court



- A person to be appointed as a judge of a High Court should have the following qualifications:
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:
- He/She should be a citizen of India, and
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और

❑ He/She should have:

❑ उसके पास ये योग्यताएँ होनी चाहिए:

- Held a judicial office in the territory of India for ten years; OR
- भारत के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो; या
- Been an advocate of a High Court (or High Courts in succession) for ten years.
- किसी उच्च न्यायालय (या क्रमशः उच्च न्यायालयों) में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।



Oath and Affirmations of Judges of High Court:



- The Chief Justice and the Judges of the High Court make and subscribe to an oath or affirmation before the Governor of the State or some person appointed by him for this purpose.
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं।

- There is no minimum age for appointment as a judge of a High Court prescribed by the Constitution
- संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है



❑ Salaries & Allowances of Judges of High Court:

❑ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते:



- The salaries, allowances, privileges, leave, and pension of the judges of the High Court are determined by the Parliament from time to time.
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

❑ Tenure of Judges of High Court:

❑ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल:

- He/She holds office until he/she attains the age of 62 years.
- वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना/बनी रहता/रहती है।
- He/She can resign from his/her office by writing to the President.
- वह राष्ट्रपति को लिखित रूप में त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता/सकती है।
- He/She can be removed from his/her office by the President on the recommendation of the Parliament.
- उसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- He/She vacates his/her office when he/she is appointed as a judge of the Supreme Court or when he/she is transferred to another High Court.
- वह अपने पद से तब मुक्त हो जाता/जाती है जब उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है या जब उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

Removal of the Judges of High Court:

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया:

- A High Court judge may vacate their office under several circumstances:
- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश विभिन्न परिस्थितियों में अपना पद छोड़ सकता है:
- If a judge wishes to resign, they submit their resignation letter to the President of India.
- यदि कोई न्यायाधीश इस्तीफा देना चाहता/चाहती है, तो वह अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता/करती है।
- A judge's office will be considered vacated if they are appointed to the Supreme Court or transferred to a different High Court.
- यदि किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाता है या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसका पद रिक्त माना जाएगा।
- A High Court judge can be removed from office. This can happen if both Houses of Parliament pass a motion against the judge with an absolute majority and a two-thirds majority of the members present and voting, when sitting separately. The final decision is made by the President of India.
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। यह तब संभव है जब संसद के दोनों सदन अलग-अलग बैठकों में उस न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित करें। अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है।



Lok Sabha Speaker sets in motion the process to remove Allahabad High Court Justice Yashwant Varma.

लोकसभा स्पीकर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

The three-member committee includes Justice Arvind Kumar of the Supreme Court, Justice Manindra Mohan Srivastava, Chief Justice of the Madras High Court and Senior Advocate of Karnataka High Court B.V. Acharya.

इस तीन सदस्यीय कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बी.वी. आचार्य शामिल हैं।



Transfer of Judges of High Court: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण:



- The President of India can transfer a judge of one High Court to another High Court after consulting the Chief Justice of India.
- भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं।

- As per Third Judges Case (1998), in case of transfer of a judge of the High Court, the Chief Justice of India should consult, in addition to a collegium of 4 seniormost judges of the Supreme Court, the Chief Justices of the two High Courts concerned.
- थर्ड जजेज केस (1998) के अनुसार, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के अतिरिक्त संबंधित दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए।

Jurisdiction of High Court:



❑ The present jurisdiction and powers of a High Court are governed by multiple sources, including:

❑ उच्च न्यायालय के वर्तमान अधिकार-क्षेत्र और शक्तियाँ अनेक स्रोतों द्वारा संचालित होती हैं, जिनमें शामिल हैं:

- the constitutional provisions,/संवैधानिक प्रावधान,
- the Letters Patent,/लेटर्स पेटेंट (Letters Patent),
- the Acts of Parliament,/संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम,
- the Acts of State Legislature,/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम,
- the Indian Penal Code, 1860,/भारतीय दंड संहिता, 1860,
- the Criminal Procedure Code, 1973, and/दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, तथा
- the Civil Procedure Code, 1908./सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

❑ The extensive jurisdiction and powers of the High Court can be classified into the following categories:

❑ उच्च न्यायालय के व्यापक अधिकार-क्षेत्र और शक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- Original Jurisdiction/मूल अधिकार-क्षेत्र
- Writ Jurisdiction/रिट अधिकार-क्षेत्र
- Appellate Jurisdiction/अपीलीय अधिकार-क्षेत्र
- Supervisory Jurisdiction/पर्यवेक्षण (Supervisory) अधिकार-क्षेत्र



Original Jurisdiction

- Disputes relating to the election of members of Parliament and State Legislatures.
- संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद।
- Regarding revenue matters or an act ordered or done in revenue collection.
- राजस्व मामलों से संबंधित या राजस्व संग्रह के दौरान किए गए आदेश अथवा कार्य से संबंधित मामले।
- Enforcement of fundamental rights of citizens.
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मामले।
- Cases ordered to be transferred from a subordinate court involving the interpretation of the Constitution to its own file.
- ऐसे मामले जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित कर उच्च न्यायालय में लाया गया हो और जिनमें संविधान की व्याख्या शामिल हो।
- The four High Courts (i.e., Calcutta, Bombay, Madras and Delhi High Courts) have original civil jurisdiction in classes of higher value.
- चार उच्च न्यायालय (अर्थात् कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय) उच्च मूल्य के दीवानी मामलों में मूल दीवानी अधिकार-क्षेत्र रखते हैं।

Writ Jurisdiction

- As per Article 226 of the Indian Constitution, the High Court is empowered to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and any ordinary legal right.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों तथा किसी भी सामान्य वैधानिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
- The writ jurisdiction of the High Court is not exclusive but concurrent with the writ jurisdiction of the Supreme Court.
- उच्च न्यायालय का रिट अधिकार-क्षेत्र विशिष्ट (exclusive) नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय के रिट अधिकार-क्षेत्र के साथ समवर्ती (concurrent) है।
- However, the writ jurisdiction of the High Court is wider than that of the Supreme Court.
- हालाँकि, उच्च न्यायालय का रिट अधिकार-क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है।
- While the Supreme Court can issue writs only for the enforcement of Fundamental Rights, the High Court can issue writs for the enforcement of Fundamental Rights as well as any ordinary legal right.
- जहाँ सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी भी सामान्य वैधानिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

Appellate Jurisdiction

- The High Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgments of Subordinate Courts functioning within the territorial jurisdiction of the State.
- उच्च न्यायालय मुख्यतः एक अपीलीय न्यायालय है और राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।
- The Appellate Jurisdiction of the High Court can be classified under the following two heads:
- उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार-क्षेत्र को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
 1. Appeals in Civil Matters
दीवानी मामलों में अपीलें
 2. Appeals in Criminal Matters
आपराधिक मामलों में अपीलें

Supervisory Jurisdiction

- A High Court has the power of superintendence over all courts and tribunals functioning in its territorial jurisdiction, except military courts or tribunals.
- उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण (Superintendence) की शक्ति प्राप्त है, सैन्य न्यायालयों या अधिकरणों को छोड़कर।
- This power of superintendence of a High Court extends to all courts and tribunals whether they are subject to the appellate jurisdiction of the High Court or not.
- उच्च न्यायालय की यह अधीक्षण शक्ति उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों तक विस्तृत है, चाहे वे उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार-क्षेत्र के अधीन हों या नहीं।
- The following points are to be noted w.r.t. the Supervisory Jurisdiction of High Courts:
- उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण (Supervisory) अधिकार-क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित बिंदु ध्यान देने योग्य हैं:
 - It covers not only administrative superintendence but also judicial superintendence.
 - यह केवल प्रशासनिक अधीक्षण ही नहीं, बल्कि न्यायिक अधीक्षण को भी शामिल करता है।
 - It is a revisional jurisdiction.
 - यह पुनरीक्षण (Revisional) अधिकार-क्षेत्र है।
 - It can be suo-motu (on its own) and not necessarily on the application of a party.
 - यह स्वतः संज्ञान (Suo Motu) के आधार पर भी प्रयोग किया जा सकता है और आवश्यक नहीं कि किसी पक्ष की याचिका पर ही हो।

High Court to be a Court of Record:

उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में:

- The judgments, proceedings, and acts of the High Court are recorded for perpetual memory and testimony.
- उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाहियाँ और कृत्य स्थायी अभिलेख एवं प्रमाण के रूप में दर्ज किए जाते हैं।
- These records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court.
- ये अभिलेख साक्ष्यात्मक मूल्य रखते हैं और किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
- These judgments are recognized as legal precedents and legal references.
- इन निर्णयों को विधिक मिसाल (legal precedents) और विधिक संदर्भ (legal references) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- It has the power to punish for contempt of not only itself but also contempt of subordinate courts.
- इसे न केवल अपनी, बल्कि अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना (Contempt) के लिए भी दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।
- The power to review and correct its own judgment, order, or decision.
- इसे अपने ही निर्णय, आदेश या फैसले की समीक्षा (Review) और संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।

Power of Judicial Review:

न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति:

- It refers to the power of the High Court to examine the constitutionality of legislative acts and executive orders of both the Central and the State Governments.
- यह उच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिनियमों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता की जाँच करता है।



Important Article Related to High Court



Article No.	Subject Matter
214	High Courts for States राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
215	High Courts to be Court of Record उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा
216	Constitution of High Court उच्च न्यायालय की संरचना
217	Appointment and conditions of the office of a Judge of High Court उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें
218	Application of certain provisions relating to Supreme Court to High Courts सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालय पर लागू होना
219	Oath or Affirmation by Judges of High Court उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
220	Restriction on practice after being a permanent Judge स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद वकालत पर प्रतिबंध

Article No.	Subject Matter
221	Salaries etc. of Judges न्यायाधीशों का वेतन आदि
222	Transfer of Judge from one High Court to another एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण
223	Appointment of Acting Chief Justice कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
224	Appointment of Additional and Acting Judge अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति
224A	Appointment of Retired Judges at sitting of High Court उच्च न्यायालय की पीठ में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
225	Jurisdiction of existing High Court विद्यमान उच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र
226	Power of High Court to issue certain writs उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति



Article No.	Subject Matter (English)
227	Power of superintendence over all courts by High Court/उच्च न्यायालय की सभी न्यायालयों पर अधीक्षण (Superintendence) की शक्ति
228	Transfer of certain cases to High Court/कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
229	Officers and servants and the expenses of High Court/उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा उसके व्यय
230	Extension of jurisdiction of High Court to Union Territories/उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार
231	Establishment of a common High Court for two or more States or State and Union Territories/दो या अधिक राज्यों या राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना



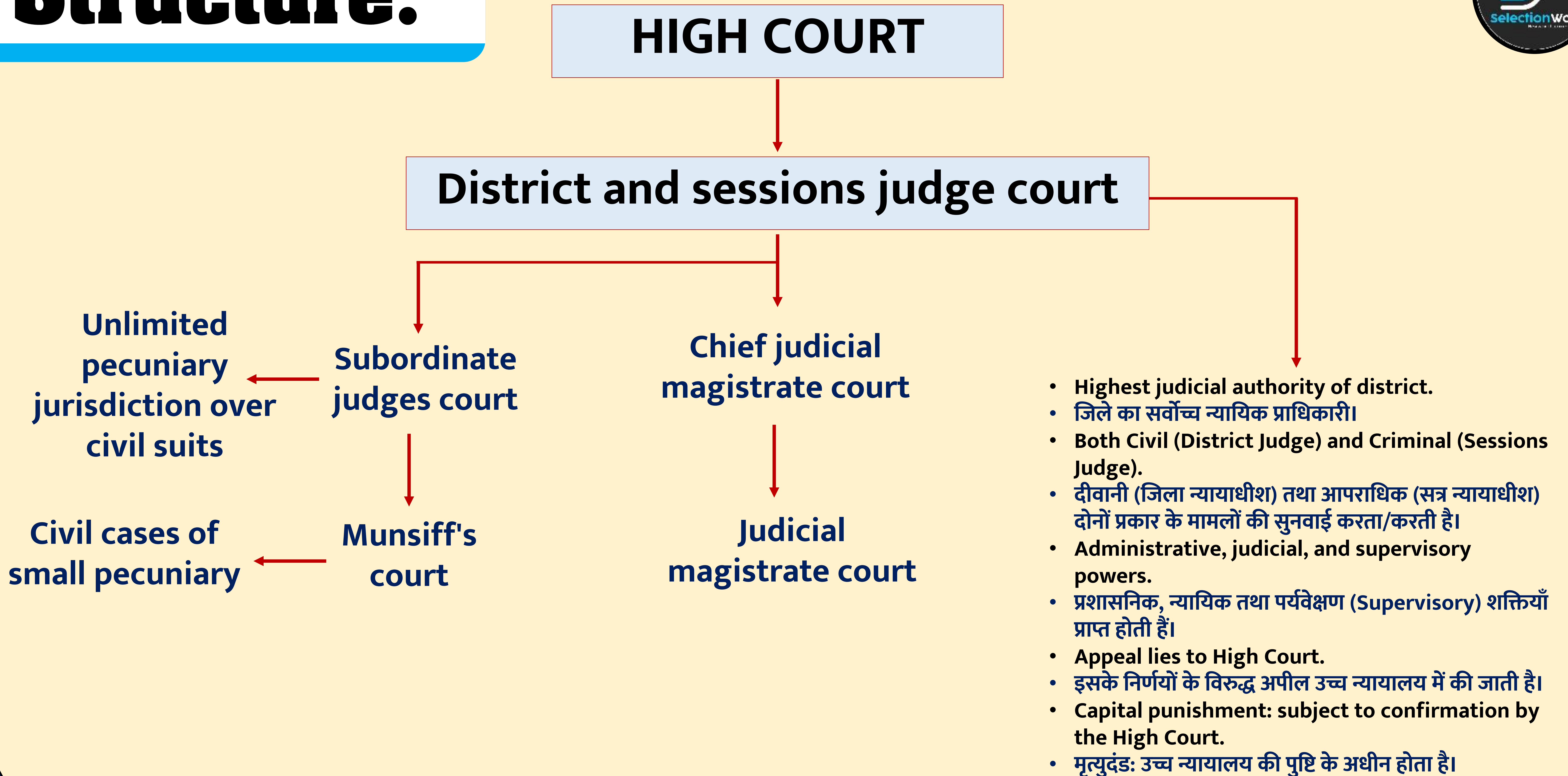
Subordinate Courts (The backbone of India's judicial system)



- Subordinate courts are situated below the High Court; these courts handle a wide range of civil and criminal cases, providing access to justice for citizens across various jurisdictions.
- अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन स्थित होते हैं; ये न्यायालय विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराते हुए दीवानी और आपराधिक मामलों की विस्तृत श्रेणी की सुनवाई करते हैं।
- Articles 233 to 237 in Part VI of the Constitution make the following provisions to regulate the organization of subordinate courts and to ensure their independence from the executive.
- संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने तथा उनकी कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।



Structure:



Important Articles related to Subordinate Courts



Article No.	Subject Matter (English)
233	Appointment of District Judges जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
233A	Validation of appointments of, and judgments etc. delivered by certain District Judges कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का वैधीकरण
234	Recruitment of persons other than District Judges to the Judicial Service जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त व्यक्तियों की न्यायिक सेवा में भर्ती
235	Control over Subordinate Courts अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
236	Interpretation व्याख्या
237	Application of the provisions of this chapter to certain class or classes of Magistrates इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर अनुप्रयोग



Important Case and Judgements

BANNED!

Romesh Thappar vs State of Madras (1950) -



- The government of Madras banned the entry and circulation of the journal Cross Roads, edited by Romesh Thappar, under Section 9(1-A) of the Madras Maintenance of Public Order Act, 1949, claiming it disturbed public order.
- मद्रास सरकार ने मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, 1949 की धारा 9(1-A) के तहत रोमेश थापर द्वारा संपादित पत्रिका Cross Roads के प्रवेश और प्रसार पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि यह सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) को प्रभावित करती है।

Issue:

- Whether the ban violated the fundamental right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution.
- क्या यह प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है?

Judgement:



- The Supreme Court struck down the ban as unconstitutional. It held that “public order” was not one of the permissible grounds for restricting freedom of speech under Article 19(2) as it existed then.
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उस समय अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत “सार्वजनिक व्यवस्था” अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का वैध आधार नहीं था।

Significance:

- One of the first cases to interpret Article 19(1)(a).
- यह अनुच्छेद 19(1)(a) की व्याख्या करने वाले प्रारंभिक मामलों में से एक था।
- Established that freedom of speech is essential to democracy.
- इसने स्थापित किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- Led to the First Amendment (1951), which added “public order” as a ground for reasonable restrictions under Article 19(2).
- इस निर्णय के परिणामस्वरूप प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 लाया गया, जिसमें अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत “सार्वजनिक व्यवस्था” को युक्तिसंगत प्रतिबंध के आधार के रूप में जोड़ा गया।



Important Case and Judgements

A.K. Gopalan vs State of Madras (1950):



Issue:

- A.K. Gopalan, a communist leader, was detained under the Preventive Detention Act, 1950. He challenged his detention, claiming it violated his fundamental rights under Articles 19 and 21 of the Constitution.
 - ए.के. गोपालन, जो एक कम्युनिस्ट नेता थे, को प्रिवेंटिव डिटेन्शन एक्ट, 1950 के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। उन्होंने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
-
- Whether preventive detention violated the right to personal liberty under Article 21, and whether laws depriving liberty must also satisfy Article 19.
 - क्या निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है, और क्या स्वतंत्रता से वंचित करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 19 की शर्तों को भी पूरा करना चाहिए?

Judgement:



- The Supreme Court upheld the Preventive Detention Act (except for certain procedural defects in Section 14).
- सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को वैध ठहराया (हालाँकि धारा 14 में कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटियों को छोड़कर)।
- It ruled that each fundamental right is distinct and separate, and Article 21 (procedure established by law) did not require that the procedure be “just, fair and reasonable.”
- न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मौलिक अधिकार अलग और स्वतंत्र है, तथा अनुच्छेद 21 (“कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया”) यह आवश्यक नहीं करता कि प्रक्रिया “न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत” हो।
- Thus, as long as a law was validly enacted, deprivation of liberty under that law was constitutional.
- अतः जब तक कोई कानून विधिपूर्वक बनाया गया है, उसके अंतर्गत स्वतंत्रता से वंचित करना संवैधानिक माना जाएगा।

- This case established the “procedure established by law” doctrine (as opposed to “due process of law”).
- इस मामले ने “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” (Procedure Established by Law) के सिद्धांत को स्थापित किया (जो “विधि द्वारा उचित प्रक्रिया” से भिन्न है)।
- The narrow interpretation of Article 21 lasted until Maneka Gandhi vs Union of India (1978), which overruled it and held that laws must also be fair, just and reasonable.
- अनुच्छेद 21 की यह संकीर्ण व्याख्या 1978 के मनेका गांधी बनाम भारत संघ मामले तक चली, जिसमें इसे पलट दिया गया और यह कहा गया कि कानून न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत भी होना चाहिए।

Significance:



Important Case and Judgements

State of Madras vs Champakam Dorairajan (1951):



- The Madras government reserved seats in educational institutions for different communities under a Communal Government Order (G.O.).
- मद्रास सरकार ने एक सामुदायिक सरकारी आदेश (Communal G.O.) के तहत विभिन्न समुदायों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित की थीं।
- Champakam Dorairajan, a Brahmin candidate, was denied admission due to this communal quota system and challenged it.
- चंपकम दोरैराजन, जो एक ब्राह्मण उम्मीदवार थीं, को इस सामुदायिक कोटा प्रणाली के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया और उन्होंने इसे न्यायालय में चुनौती दी।

Issue:

- Whether the communal reservation violated the right to equality under Article 15(1) and Article 29(2) of the Constitution.
- क्या यह सामुदायिक आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 29(2) के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है?

Judgement:

- The Supreme Court struck down the Communal G.O. as unconstitutional.
- सर्वोच्च न्यायालय ने सामुदायिक सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया।
- It held that caste-based reservations in educational institutions violated Articles 15(1) and 29(2), which prohibited discrimination on grounds of religion, race, caste, or sex.
- न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित आरक्षण अनुच्छेद 15(1) और 29(2) का उल्लंघन है, जो धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं।
- The Court ruled that Directive Principles (Article 46) cannot override Fundamental Rights.
- न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 46) मौलिक अधिकारों पर प्रधानता नहीं रख सकते।

Significance:

- It was the first case in which the Supreme Court struck down a law for violating Fundamental Rights.
- यह पहला मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को निरस्त किया।
- Led to the First Constitutional Amendment (1951), inserting Article 15(4) – allowing special provisions for advancement of socially and educationally backward classes.
- इस निर्णय के परिणामस्वरूप प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 लाया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, जिससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन्नयन हेतु विशेष प्रावधानों की अनुमति दी गई।





Important Case and Judgements

Shankari Prasad vs Union of India (1951):



- The First Constitutional Amendment (1951) curtailed the right to property by adding Articles 31A and 31B to protect land reform laws from being challenged under Fundamental Rights. Shankari Prasad challenged this amendment, arguing that Parliament had no power to amend Fundamental Rights under Article 368.
- प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 ने अनुच्छेद 31A और 31B जोड़कर संपत्ति के अधिकार को सीमित किया, ताकि भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती न दी जा सके। शंकरि प्रसाद ने इस संशोधन को चुनौती दी और तर्क दिया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है।

Issue:

- Whether the Constitution (1st Amendment) Act, 1951 was valid – i.e., can Parliament amend Fundamental Rights under Article 368?
- क्या संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 वैध था — अर्थात् क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है?

Judgement:



- The Supreme Court upheld the amendment as constitutional.
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को संवैधानिक और वैध ठहराया।
- It held that the “law” in Article 13(2) does not include constitutional amendments, and hence, amendments under Article 368 cannot be challenged for violating Fundamental Rights.
- न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त “कानून” (law) में संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं हैं, इसलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

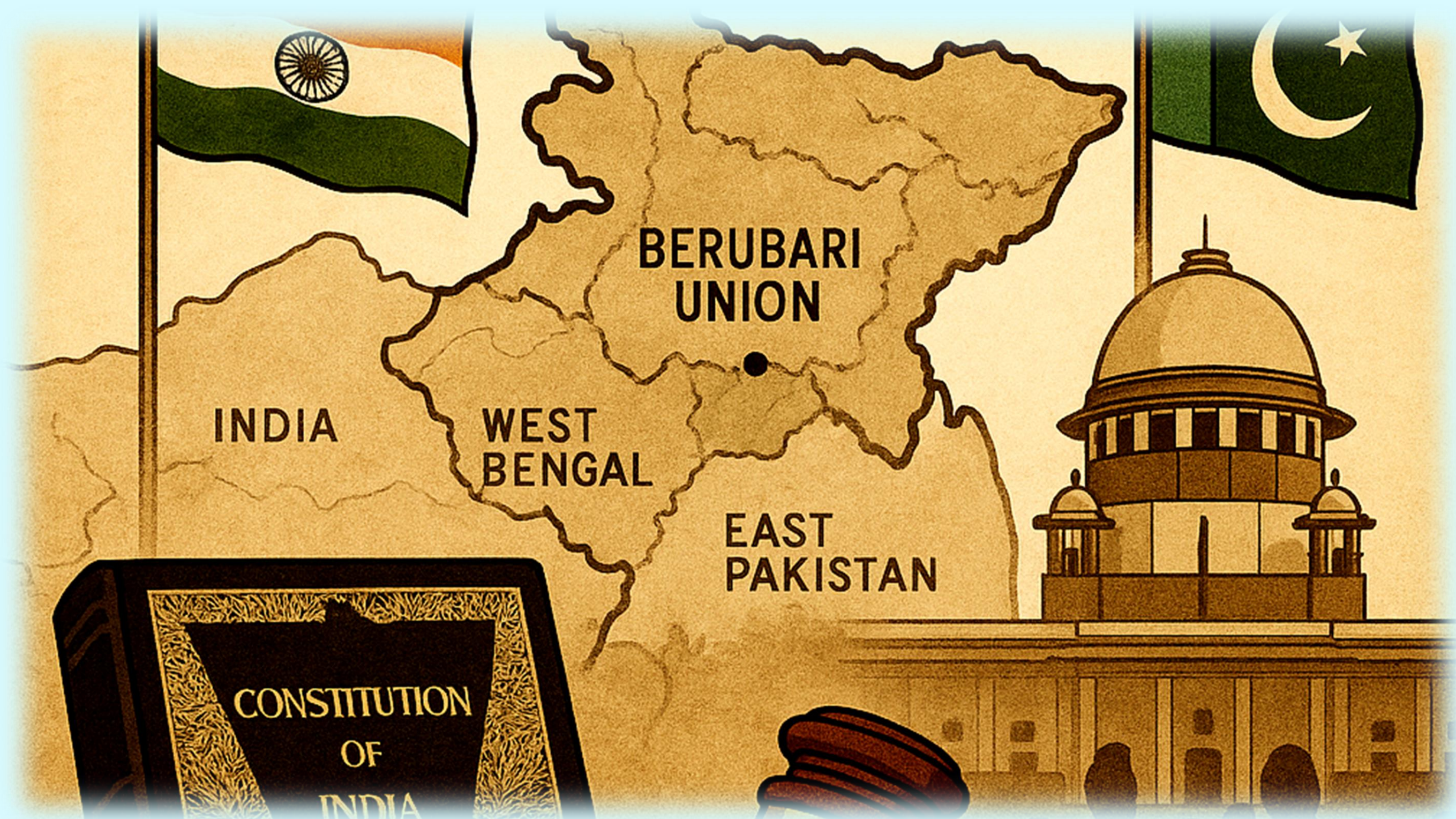
Significance:

- This case established that Parliament has the power to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights.
- इस मामले ने स्थापित किया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति है।
- The position was later challenged in Golaknath (1967) and finally redefined in Kesavananda Bharati case (1973).
- इस सिद्धांत को बाद में गोलकनाथ (1967) मामले में चुनौती दी गई और अंततः केशवानंद भारती (1973) मामले में पुनः परिभाषित किया गया।



Important Case and Judgements

Berubari Union Case (1960):



Issue:

- A dispute arose over the Berubari Union, a territory in West Bengal, which was to be divided between India and Pakistan under the Indo-Pak Agreement (Nehru–Noon Agreement, 1958). The President sought the Supreme Court's opinion under Article 143(1) on whether it required a constitutional amendment.
- पश्चिम बंगाल स्थित बेरुबारी यूनियन क्षेत्र को भारत-पाकिस्तान समझौते (नेहरू-नून समझौता, 1958) के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया जाना था। इस संबंध में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से यह राय मांगी कि क्या इसके लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है।
- Can the Government of India cede territory to another country by executive action alone, or is a constitutional amendment under Article 368 necessary?
- क्या भारत सरकार केवल कार्यपालिका के आदेश से किसी विदेशी देश को क्षेत्र सौंप सकती है, या इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन आवश्यक है?

Judgement:



- The Supreme Court held that Parliament must pass a constitutional amendment under Article 368 to transfer territory to another country.
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी अन्य देश को भारतीय क्षेत्र हस्तांतरित करने के लिए संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन करना आवश्यक है।
- It clarified that Article 3 (which deals with alteration of state boundaries) applies only to reorganization within India and not to cession of territory to a foreign nation.
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 (जो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है) केवल भारत के भीतर पुनर्गठन पर लागू होता है, न कि किसी विदेशी राष्ट्र को क्षेत्र सौंपने पर।

Significance:

- Established that ceding Indian territory requires a constitutional amendment.
- इस निर्णय ने स्थापित किया कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपने के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है।
- This principle was later followed in the 9th Constitutional Amendment Act (1960) to implement the India–Pakistan Agreement.
- इस सिद्धांत का पालन बाद में भारत-पाकिस्तान समझौते को लागू करने के लिए 9वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1960 में किया गया।



Important Case and Judgements

I.C. Golaknath vs State of Punjab (1967):



- The Golaknath family challenged Punjab laws that took away parts of their agricultural land under land reform acts. They argued that these laws violated their Fundamental Rights to property (Articles 19(1)(f) and 31), and questioned whether Parliament could amend Fundamental Rights.
- गोलकनाथ परिवार ने पंजाब के उन कानूनों को चुनौती दी जिनके तहत भूमि सुधार अधिनियमों द्वारा उनकी कृषि भूमि का एक भाग अधिग्रहित कर लिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि ये कानून उनके संपत्ति संबंधी मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(f) और 31) का उल्लंघन करते हैं तथा यह प्रश्न उठाया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।

Issue:

- Can Parliament amend Fundamental Rights under Article 368 of the Constitution?
- क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है?

Judgement:



- The Supreme Court (by 6:5 majority) held that Parliament cannot amend Fundamental Rights.
- सर्वोच्च न्यायालय ने 6:5 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
- It ruled that a constitutional amendment is a “law” under Article 13(2), and hence, any amendment abridging Fundamental Rights is invalid.
- न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत “कानून” है, इसलिए मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला कोई भी संशोधन अमान्य होगा।
- The Court also said this ruling would apply prospectively (to future amendments only).
- न्यायालय ने यह भी कहा कि यह निर्णय भविष्य में किए जाने वाले संशोधनों पर ही लागू होगा (Prospective Application)।

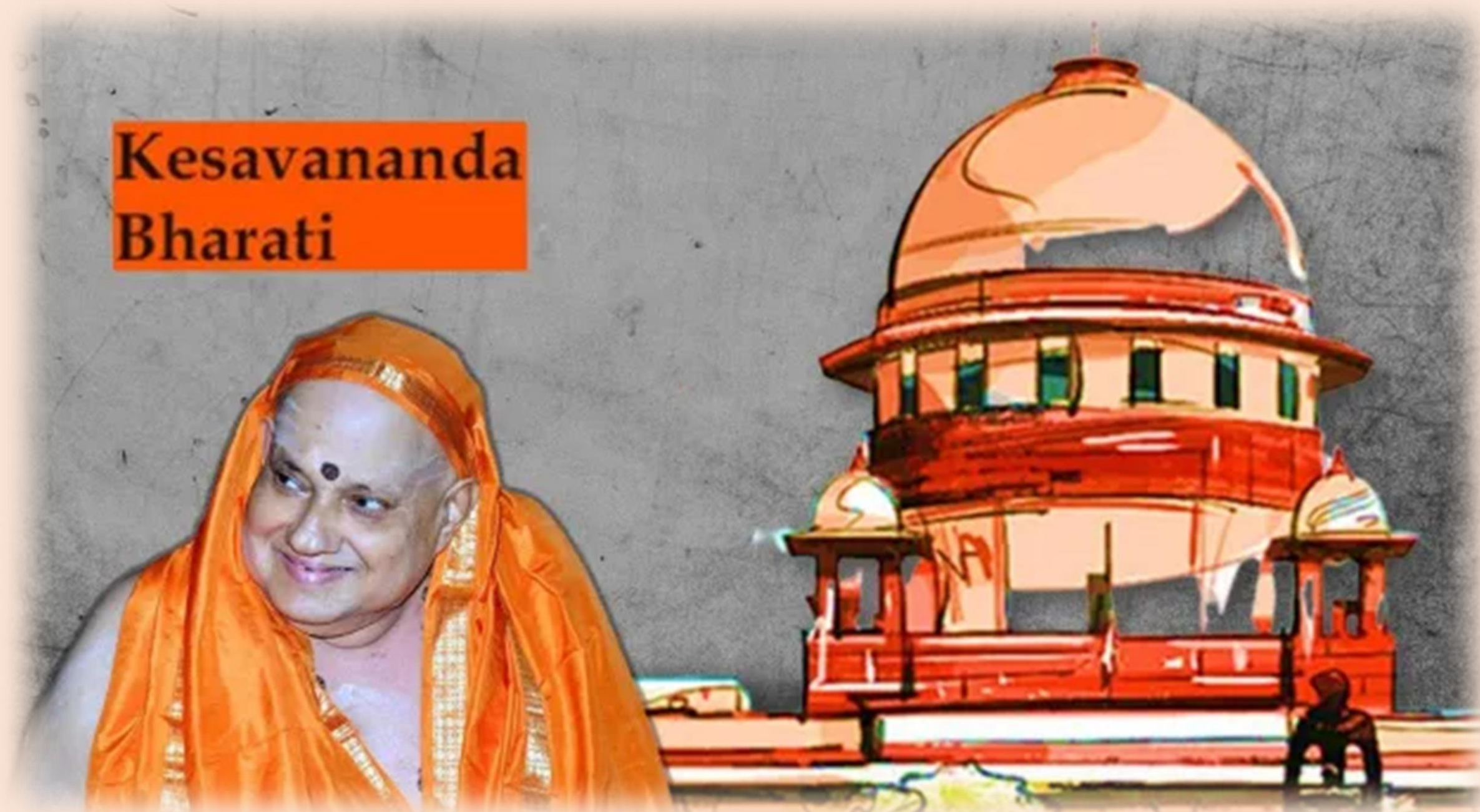
Significance:

- Restricted Parliament’s amending power for the first time.
- यह पहला अवसर था जब संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया गया।
- This decision was later overruled in Kesavananda Bharati case (1973), which introduced the Basic Structure Doctrine.
- इस निर्णय को बाद में केशवानंद भारती मामला (1973) में पलट दिया गया, जिसमें मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) प्रस्तुत किया गया।



Important Case and Judgements

Kesavananda Bharati vs State of Kerala (1973):



- Swami Kesavananda Bharati, head of a religious Math in Kerala, challenged the Kerala Land Reforms Act, 1969, claiming it violated his Fundamental Rights to property, religion, and management of religious affairs. During the case, the broader question arose – does Parliament have unlimited power to amend the Constitution?
- केरल के एक धार्मिक मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1969 को चुनौती दी, यह कहते हुए कि इससे उनके संपत्ति, धर्म और धार्मिक मामलों के प्रबंधन संबंधी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस मामले के दौरान व्यापक प्रश्न उठा – क्या संसद को संविधान में असीमित संशोधन करने की शक्ति है?

Issue:

- Can Parliament amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights, under Article 368?
- क्या संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है?

Judgement:



- The Supreme Court (13-judge bench, 7:6 majority) held that Parliament can amend any part of the Constitution, but not its “Basic Structure.”
- सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी “मूल संरचना” (Basic Structure) को परिवर्तित नहीं कर सकती।
- It overruled Golaknath (1967) in part – Parliament’s power to amend was upheld, but subject to the Basic Structure Doctrine.
- इसने गोलकनाथ (1967) के निर्णय को आंशिक रूप से पलट दिया – संसद की संशोधन शक्ति को मान्यता दी गई, परंतु उसे मूल संरचना सिद्धांत के अधीन रखा गया।

Significance:

- It is the landmark case defining the limits of Parliament’s amending power.
- यह संसद की संशोधन शक्ति की सीमाओं को निर्धारित करने वाला ऐतिहासिक (landmark) मामला है।
- Ensures that the Constitution’s core values remain intact even after amendments.
- यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मूल सिद्धांत और आधारभूत मूल्य संशोधनों के बाद भी सुरक्षित और अक्षुण्ण रहें।



Important Case and Judgements

Maneka Gandhi vs Union of India (1978):



- Maneka Gandhi's passport was impounded by the government “in public interest” under the Passport Act, 1967, without giving her reasons or a chance to be heard. She challenged this as a violation of her Fundamental Rights under Articles 14, 19 and 21.
- मनेका गांधी का पासपोर्ट पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत “सार्वजनिक हित” में सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया, बिना कारण बताए या उन्हें सुनवाई का अवसर दिए। उन्होंने इसे अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी।

Issue:

- What is the scope of “personal liberty” under Article 21?
- अनुच्छेद 21 के अंतर्गत “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” का दायरा क्या है?
- Does the “procedure established by law” need to be fair, just, and reasonable?
- क्या “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए?

Judgement:



- The Supreme Court gave a landmark judgment, holding that:
- सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि:
- The “procedure established by law” in Article 21 must be just, fair, and reasonable, not arbitrary or oppressive.
- अनुच्छेद 21 में वर्णित “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए, न कि मनमानी या दमनकारी।
- Articles 14, 19, and 21 are interconnected – any law depriving personal liberty must satisfy all three.
- अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर जुड़े हुए हैं — व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कोई भी कानून इन तीनों की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
- Expanded the meaning of personal liberty to include a wide range of rights that make life meaningful.
- न्यायालय ने “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” के अर्थ का विस्तार करते हुए उसमें जीवन को अर्थपूर्ण बनाने वाले अनेक अधिकारों को शामिल किया।

Significance:

- Overruled A.K. Gopalan (1950), which treated Fundamental Rights as separate.
- इस निर्णय ने ए.के. गोपालन (1950) के फैसले को पलट दिया, जिसमें मौलिक अधिकारों को अलग-अलग माना गया था।
- Laid the foundation for the Golden Triangle of Articles 14, 19 and 21.
- इसने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के “स्वर्ण त्रिकोण” (Golden Triangle) की अवधारणा की नींव रखी।
- Greatly expanded the scope of Fundamental Rights and strengthened procedural fairness and due process in India.
- इस निर्णय ने मौलिक अधिकारों के दायरे को अत्यधिक विस्तृत किया और भारत में प्रक्रियात्मक न्यायसंगतता तथा विधिसम्मत प्रक्रिया (Due Process) को सुदृढ़ किया।



Important Case and Judgements

Minerva Mills Case (1980):



Issue:

- The Minerva Mills company in Karnataka was taken over by the government under the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974. The company challenged certain provisions of the 42nd Constitutional Amendment (1976) – particularly Sections 4 and 55, which gave unlimited power to Parliament to amend the Constitution and made Directive Principles superior to Fundamental Rights.
 - कर्नाटक स्थित मिनेर्वा मिल्स कंपनी को Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। कंपनी ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की कुछ धाराओं — विशेषकर धारा 4 और 55 — को चुनौती दी, जिनके द्वारा संसद को संविधान में असीमित संशोधन की शक्ति दी गई थी और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (DPSP) को मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ बना दिया गया था।
-
- Can Parliament amend the Constitution in a way that destroys its “Basic Structure”?
 - क्या संसद संविधान में ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे उसकी “मूल संरचना” नष्ट हो जाए?
 - Are Fundamental Rights subordinate to Directive Principles of State Policy?
 - क्या मौलिक अधिकार राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अधीन हैं?

Judgement:



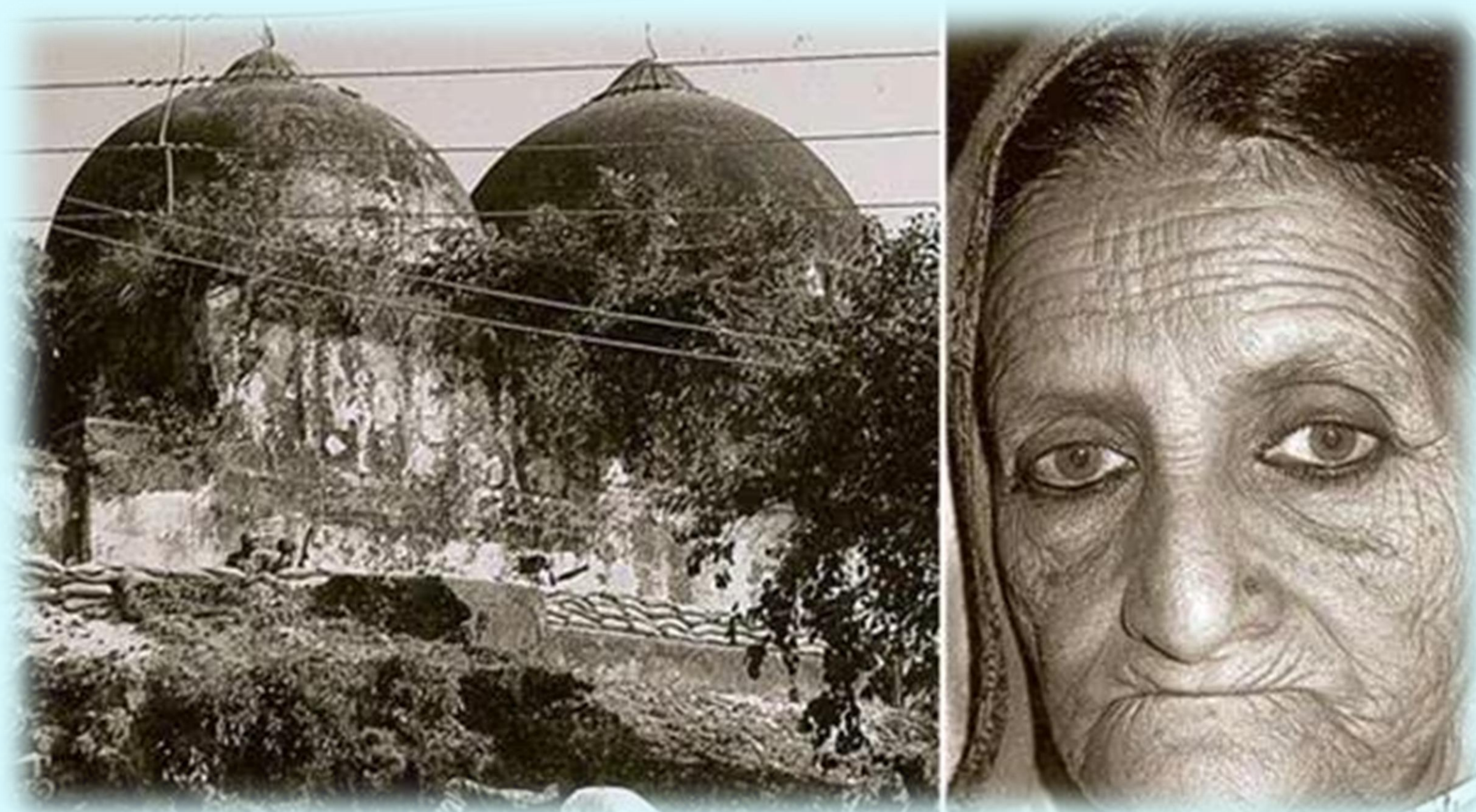
- The Supreme Court struck down Sections 4 and 55 of the 42nd Amendment as unconstitutional.
- सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन की धारा 4 और 55 को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया।
- It reaffirmed the Basic Structure Doctrine from Kesavananda Bharati (1973).
- न्यायालय ने केशवानंद भारती (1973) में स्थापित मूल संरचना सिद्धांत की पुनः पुष्टि की।
- Harmony and balance between Fundamental Rights and DPSP is essential – neither is superior.
- मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन आवश्यक है — कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है।

Significance:

- Reaffirmed that Parliament cannot destroy or damage the Basic Structure of the Constitution.
- इस निर्णय ने पुनः स्थापित किया कि संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट या क्षति नहीं पहुँचा सकती।
- Protected judicial review and Fundamental Rights from excessive parliamentary power.
- इसने न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) और मौलिक अधिकारों को संसद की अत्यधिक शक्तियों से सुरक्षित किया।

Important Case and Judgements

Shah Bano Case (1985):

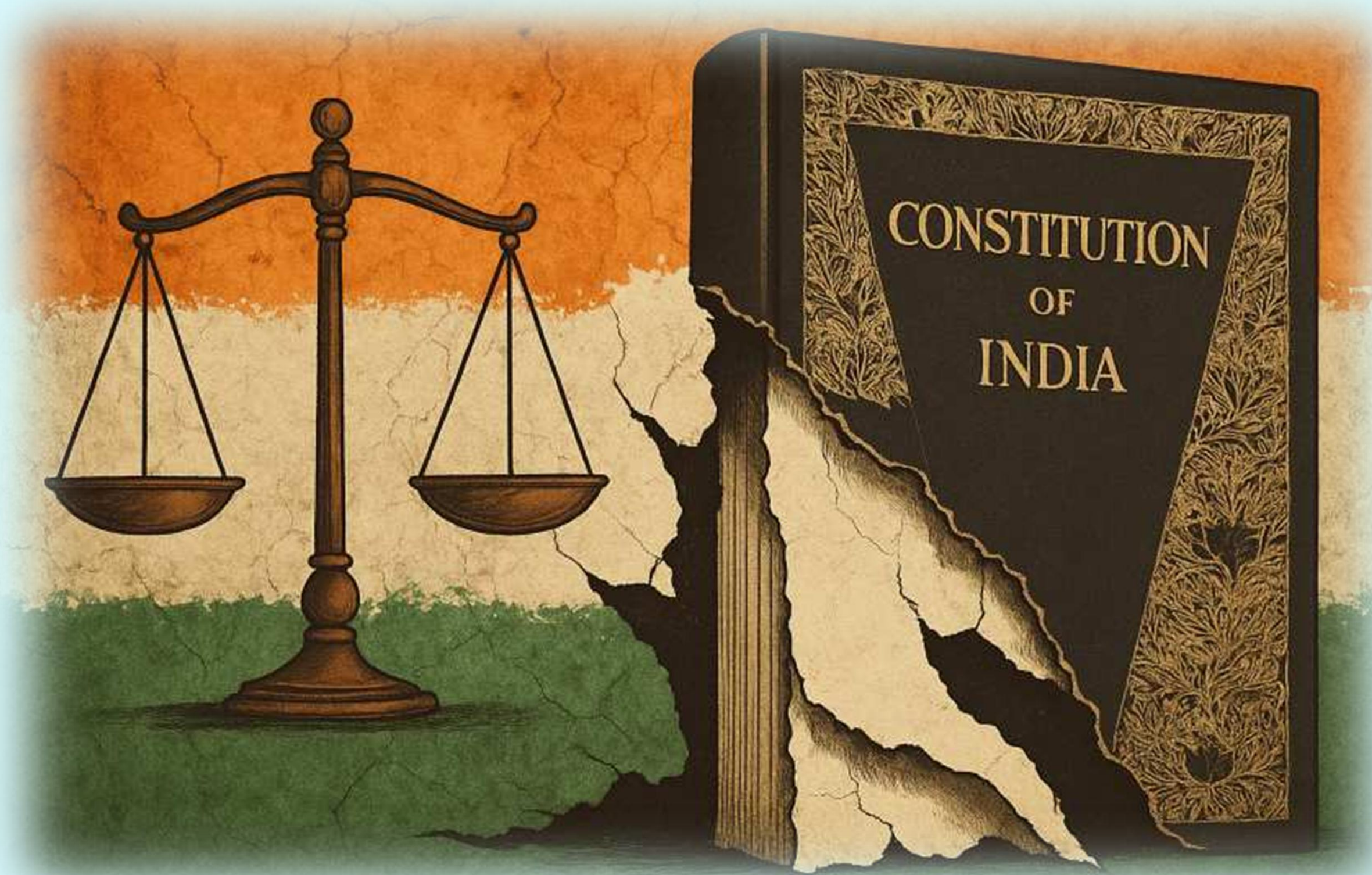


- Shah Bano, a 62-year-old Muslim woman, was divorced by her husband Mohd. Ahmed Khan, who refused to pay maintenance beyond the iddat period (three months) as per Muslim personal law. She filed a case under Section 125 of the CrPC, which applies to all citizens, seeking maintenance.
- 62 वर्षीय मुस्लिम महिला शाह बानो को उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार इद्दत अवधि (तीन महीने) के बाद भरण-पोषण देने से इंकार कर दिया। शाह बानो ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के अंतर्गत, जो सभी नागरिकों पर लागू होती है, भरण-पोषण के लिए मुकदमा दायर किया।

Issue:

- Is a Muslim husband obliged to provide maintenance to his divorced wife beyond the iddat period under Section 125 CrPC, or is he exempt under Muslim personal law?
- क्या धारा 125 CrPC के तहत एक मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को इद्दत अवधि के बाद भी भरण-पोषण देने के लिए बाध्य है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसे छूट प्राप्त है?

Judgement:



- The Supreme Court held that Section 125 of CrPC applies to all religions, including Muslims.
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि CrPC की धारा 125 सभी धर्मों पर लागू होती है, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं।
- The Court emphasized that secular law (CrPC) prevails over personal law in such matters.
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में धर्मनिरपेक्ष कानून (CrPC) व्यक्तिगत कानून (Personal Law) पर प्रधानता रखता है।

Significance:

- Landmark judgment upholding gender justice and equality.
- यह निर्णय लैंगिक न्याय और समानता को सुदृढ़ करने वाला ऐतिहासिक फैसला था।
- Triggered strong opposition from some Muslim groups, leading to the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986, which diluted the effect of the judgment.
- इस निर्णय के विरुद्ध कुछ मुस्लिम समूहों ने कड़ा विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 बनाया गया, जिसने इस निर्णय के प्रभाव को सीमित कर दिया।



Important Case and Judgements

Indra Sawhney vs Union of India (1992):



- The Mandal Commission (1979) recommended 27% reservation for Other Backward Classes (OBCs) in government jobs. The V.P. Singh government (1990) implemented it, leading to widespread protests. Indra Sawhney and others challenged the decision, arguing it violated the right to equality (Article 14).
- मंडल आयोग (1979) ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। वी.पी. सिंह सरकार (1990) ने इसे लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप देशभर में व्यापक विरोध हुआ। इंदरा साहनी और अन्य ने इस निर्णय को अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी।

Issue:

- Is 27% reservation for OBCs in public employment constitutional?
- क्या सरकारी सेवाओं में OBC के लिए 27% आरक्षण संवैधानिक है?
- Can total reservation exceed 50%?
- क्या कुल आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है?
- Are there limits on the scope of affirmative action under Article 16(4)?
- क्या अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत सकारात्मक भेदभाव (Affirmative Action) की सीमा निर्धारित है?

Judgement:



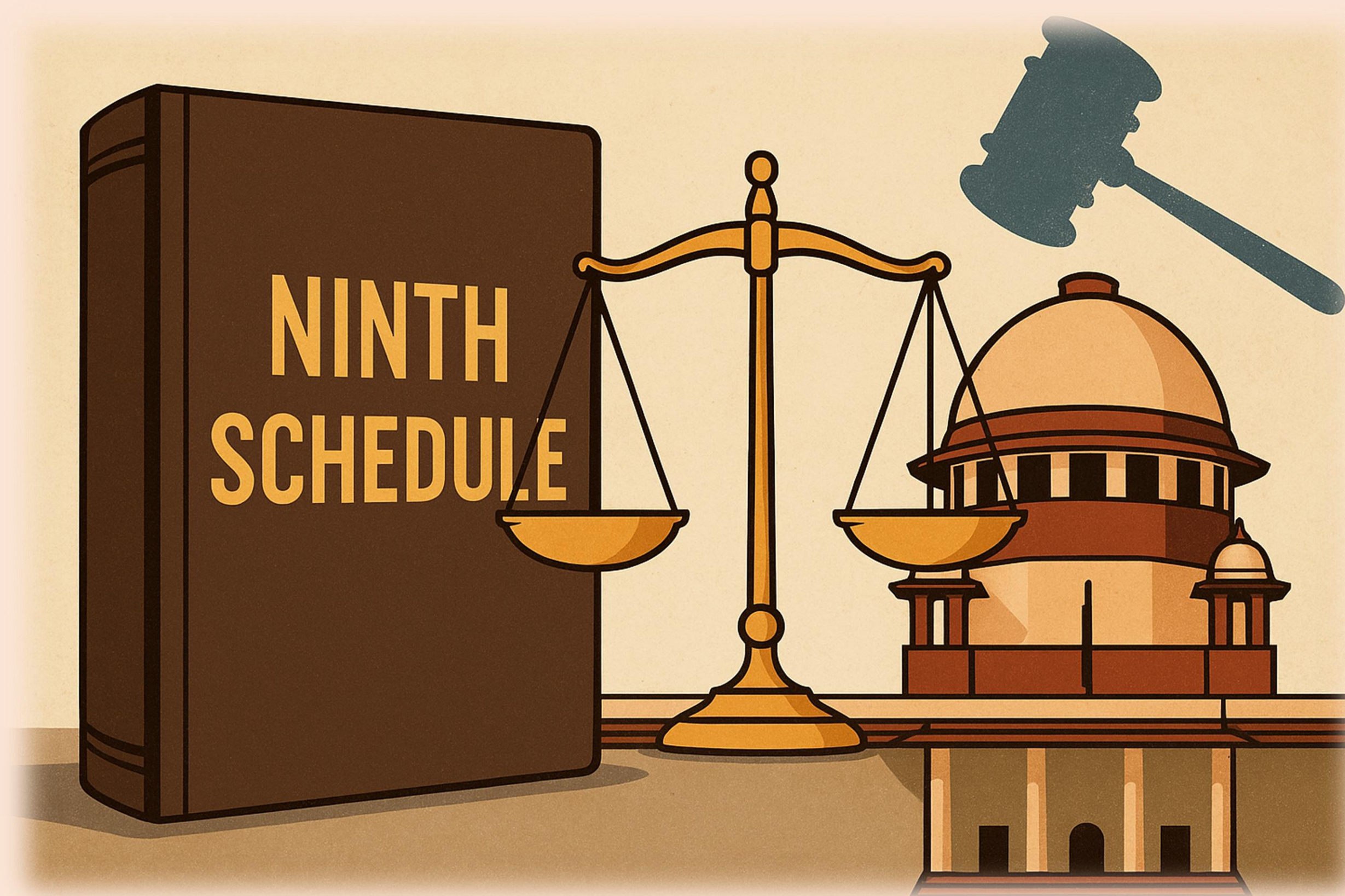
- The Supreme Court upheld the 27% reservation for OBCs as constitutional. However, it set certain limits:
- सर्वोच्च न्यायालय ने OBC के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक ठहराया, परंतु कुछ सीमाएँ निर्धारित कीं:
- Total reservation should not exceed 50% except in extraordinary situations.
- सामान्यतः कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के।
- Creamy layer (socially advanced among OBCs) must be excluded from reservation benefits.
- OBC के सामाजिक रूप से उन्नत वर्ग (क्रीमी लेयर) को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए।
- Reservation in promotions is not allowed (later changed by the 77th Constitutional Amendment in 1995).
- पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं दी गई (हालाँकि बाद में 77वें संविधान संशोधन, 1995 द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया)।

Significance:

- Landmark judgment defining the scope of affirmative action in India.
- यह भारत में सकारात्मक भेदभाव (Affirmative Action) की सीमा निर्धारित करने वाला ऐतिहासिक निर्णय था।
- Introduced the “creamy layer” concept.
- इसने “क्रीमी लेयर” की अवधारणा प्रस्तुत की।
- Reaffirmed the 50% cap on reservations.
- इसने आरक्षण पर 50% की सीमा को पुनः स्थापित किया।

Important Case and Judgements

I.R. Coelho vs State of Tamil Nadu (2007):



Issue:

- After the Kesavananda Bharati (1973) judgment, many laws – especially land reform acts – were placed in the Ninth Schedule of the Constitution to protect them from judicial review (Article 31B). I.R. Coelho challenged this, arguing that even laws in the Ninth Schedule should be tested against the Basic Structure Doctrine.
- केशवानंद भारती (1973) के निर्णय के बाद अनेक कानून — विशेषकर भूमि सुधार अधिनियम — को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा गया ताकि उन्हें न्यायिक पुनरावलोकन (अनुच्छेद 31B) से संरक्षण मिल सके। आई.आर. कोएल्हो ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को भी मूल संरचना सिद्धांत की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।
- Can laws placed in the Ninth Schedule after the Kesavananda Bharati (1973) judgment be challenged for violating Fundamental Rights and the Basic Structure?
- क्या केशवानंद भारती (24 अप्रैल 1973) के निर्णय के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों और मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है?

Judgement:



- The Supreme Court (9-judge bench) held that any law placed in the Ninth Schedule after April 24, 1973 (the date of the Kesavananda judgment) is open to judicial review.
- सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए किसी भी कानून को न्यायिक पुनरावलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है।
- If such a law violates Fundamental Rights forming part of the Basic Structure, it can be struck down.
- यदि ऐसा कोई कानून उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जो मूल संरचना का हिस्सा हैं, तो उसे निरस्त किया जा सकता है।

Significance:

- Reaffirmed the supremacy of the Constitution and the Basic Structure Doctrine.
- इस निर्णय ने संविधान की सर्वोच्चता और मूल संरचना सिद्धांत की पुनः पुष्टि की।
- Limited the use of the Ninth Schedule as a shield against judicial scrutiny.
- इसने नौवीं अनुसूची के उपयोग को न्यायिक समीक्षा से बचाव के साधन के रूप में सीमित कर दिया।
- Strengthened judicial review as part of the Basic Structure.
- इसने न्यायिक पुनरावलोकन को मूल संरचना का अभिन्न अंग मानते हुए उसे और सशक्त किया।



Important Case and Judgements

K.S. Puttaswamy vs Union of India (2017)



- Justice K.S. Puttaswamy (retd.) filled a petition challenging the Aadhaar scheme, arguing that it violated the right to privacy by collecting citizens' personal data without adequate safe-guards. The question arose whether the right to privacy is a Fundamental Right under the Indian Constitution.
- जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (रिटायर्ड) ने आधार स्कीम को चुनौती देने वाली एक पिटीशन दायर की, जिसमें कहा गया कि यह बिना सही सेफ-गार्ड के नागरिकों का पर्सनल डेटा इकट्ठा करके प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करती है। सवाल उठा कि क्या प्राइवेसी का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक फंडामेंटल राइट है।



Issue:

- Is the right to privacy protected as a Fundamental Right under the Constitution of India?
- क्या प्राइवेसी का अधिकार भारत के संविधान के तहत एक फंडामेंटल राइट के तौर पर सुरक्षित है?

Significance:

- Recognized privacy as intrinsic to life and liberty.
- निजता को जीवन और स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा माना गया।
- Laid the foundation for data protection laws and digital rights in India.
- भारत में डेटा संरक्षण कानूनों और डिजिटल अधिकारों की नींव रखी।
- Strengthened the scope of Article 21 and reaffirmed the progressive interpretation of Fundamental Rights.
- अनुच्छेद 21 के दायरे को मजबूत किया और मौलिक अधिकारों की प्रगतिशील व्याख्या को पुनः स्थापित किया।



Important Case and Judgements

K.M. Nanavati vs State of Maharashtra (1962)



Issue:

- K.M. Nanavati, a Naval Commander, shot and killed Prem Ahuja, his wife Sylvia's lover, after discovering her affair. He surrendered himself and claimed it was a crime of passion, not premeditated murder. The case attracted massive media attention and public sympathy.
- नौसेना कमांडर के. एम. नानावटी ने अपनी पत्नी सिल्विया के प्रेमी प्रेम आहूजा को उसके संबंध का पता चलने पर गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने आत्मसमर्पण किया और दावा किया कि यह पूर्वनियोजित हत्या नहीं बल्कि आवेश में किया गया अपराध था। इस मामले ने व्यापक मीडिया ध्यान और जनसहानुभूति आकर्षित की।
- Was killing murder (section 302 IPC) or culpable homicide not amounting to murder (section 304 IPC)?
- क्या यह हत्या (आईपीसी धारा 302) थी या हत्या न माने जाने योग्य आपराधिक मानव वध (आईपीसी धारा 304)?
- Could jury verdicts be overturned by the high court?
- क्या उच्च न्यायालय जूरी के निर्णय को पलट सकता था?
- Was the Governor's pardon power valid during judicial proceedings?
- क्या न्यायिक कार्यवाही के दौरान राज्यपाल की क्षमादान शक्ति वैध थी?

Judgement:



- The SC held that Nanavati's act was premeditated murder, not committed in sudden provocation.
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नानावटी का कृत्य पूर्वनियोजित हत्या था, न कि अचानक उकसावे में किया गया अपराध।
- The jury's acquittal was set aside due to misdirection by the judge, and Nanavati was convicted under section 302 IPC.
- न्यायाधीश द्वारा गलत दिशा-निर्देशन के कारण जूरी का बरी करने का निर्णय निरस्त किया गया और नानावटी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया।
- The court also clarified the limits of the Governor's power of Pardon – it cannot interfere while a judicial process is pending.
- न्यायालय ने राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की सीमाएँ भी स्पष्ट कीं — लंबित न्यायिक प्रक्रिया के दौरान इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

Significance:

- One of India's most famous criminal cases – ended the jury trial system in India due to media influence and public bias.
- भारत के सबसे प्रसिद्ध आपराधिक मामलों में से एक – मीडिया प्रभाव और जन पक्षपात के कारण भारत में जूरी ट्रायल प्रणाली का अंत हुआ।
- Reinforced judicial supremacy over jury verdicts.
- जूरी के निर्णयों पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता को मजबूत किया।

Some other judgments



Case	Judgment
1. Indra Nehru Gandhi case (1975)	Struck down 39 th amendment; upheld judicial review, free and fair elections and democracy as basic features of the constitution
2. ADM Jabalpur Case (1976)	Court upheld suspension of right to life during emergency; justice Khanna's dissent later became the foundation for human rights and liberty in india.
3. Bachan singh case (1980)	Death penalty upheld; to be applied only in the “rarest of rare” cases under fair, just, and reasonable procedure.
4. DC Wadhwa case (1986)	Re – promulgation of ordinances is unconstitutional; it is a fraud on the constitution and undermines legislative authority.
5. Kihoto Hollohan (1992)	Upheld anti-defection law; speaker's decision is subject to judicial review after final decision
6. Unni Krishnan case (1993)	Declared right to education as part of Article 21; led to Article 21A ensuring free education for children up to 14 years



Practice Questions

1. Disputes between two or more states come under the ____ of the Supreme Court.

दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के ____ के अंतर्गत आते हैं।

- a) Original Jurisdiction / मूल क्षेत्राधिकार
- b) Advisory Jurisdiction / परामर्श क्षेत्राधिकार
- c) Appellate Jurisdiction / अपीलीय क्षेत्राधिकार
- d) Writ Jurisdiction / रिट क्षेत्राधिकार

SSC STENOGRAPHER 12/10/23





Practice Questions

2. The State of Kerala vs Leesamma Joseph case deals with ___

केरल राज्य बनाम लीसाम्मा जोसेफ मामला ___ से संबंधित है।

- a) Dowry / दहेज
- b) The economically weaker section / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- c) Education / शिक्षा
- d) Persons with disability / दिव्यांगजन

SSC CGL 2023





Practice Questions

The Supreme Court of India came into existence on ____

भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया?

- a) 30 January 1935 / 30 जनवरी 1935
- b) 26 January 1950 / 26 जनवरी 1950
- c) 15 August 1947 / 15 अगस्त 1947
- d) 2 October 1952 / 2 अक्टूबर 1952

(SSC CGL 24/07/2023)





Practice Questions

4. Till which year did the High Court of Delhi continue to exercise jurisdiction of Himachal Pradesh?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र किस वर्ष तक लागू रखा?

- a) 1969
- b) 1967
- c) 1971
- d) 1968

SSC CGL 27/07/23





Practice Questions

5. The first High Court of India was established in the year ___

भारत का पहला उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था?

- a) 1860
- b) 1862
- c) 1867
- d) 1857

SSC MTS 03/05/23





Practice Questions

In which of the following cases did the Supreme Court of India pronounce the theory of the 'Basic Structure' of the Constitution?

निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 'मूल संरचना' सिद्धांत को प्रतिपादित किया?

- a) Kesavananda Bharti case, 1973 / केशवानंद भारती मामला, 1973
- b) Golaknath case, 1967 / गोलकनाथ मामला, 1967
- c) Minerva Mill case, 1980 / मिनर्वा मिल मामला, 1980
- d) Swarn Singh case, 1989 / स्वर्ण सिंह मामला, 1989

SSC CGL 2022





Practice Questions

Which is not correct about the independence of the judiciary in our country?

हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है?

- a) The judiciary has the power to penalise those who are found guilty of contempt of court./ न्यायपालिका के पास अवमानना के दोषी पाए गए लोगों को दंडित करने की शक्ति है।
- b) The judges are financially dependent on both the executive and legislature./ न्यायाधीश कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं।
- c) The Constitution prescribes a very difficult procedure for removal of judges./ संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- d) The legislature is not involved in the process of appointment of Judges./ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती।





Practice Questions

8. Who amongst the following is NOT part of the Union Executive?

निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है?

- a) The Prime Minister of India / भारत के प्रधानमंत्री
- b) The President of India / भारत के राष्ट्रपति
- c) The Supreme Court of India / भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- d) The Council of Ministers / मंत्रिपरिषद

(SSC CHSL 25/05/2022)





Practice Questions

9. A judge of the Supreme Court can be removed on the grounds of ____
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ____ के आधार पर हटाया जा सकता है।
- a) Disrespect of the Constitution / संविधान का अनादर
 - b) Proven misbehaviour or incapacity / सिद्ध कदाचार या अक्षमता
 - c) Murder charges / हत्या के आरोप
 - d) Lack of knowledge / ज्ञान की कमी

SSC CGL 2022





Practice Questions

10. A Supreme Court or High Court judge can be removed by the Parliament by:

सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा किस बहुमत से हटाया जा सकता है?

- a) Simple majority / साधारण बहुमत
- b) Both simple and two-third majority / साधारण और दो-तिहाई दोनों बहुमत
- c) Special majority / विशेष बहुमत
- d) Two-third majority / दो-तिहाई बहुमत

(SSC CPO 2022)





Practice Questions

Which of the following qualifications should the judges of the Supreme Court have?

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी योग्यता होनी चाहिए?

- (a) He must have worked as a judge for at least 5 years in one or more High Courts continuously/ उसे एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए
- (b) He must have been an advocate for 10 years in one or more High Courts continuously/ वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो
- (c) He must be an accomplished jurist / वह एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो
- (d) Any of the above / उपरोक्त में से कोई भी





Practice Questions

Ad hoc judges are appointed in the Supreme Court when —

सर्वोच्च न्यायालय में एड हॉक न्यायाधीश कब नियुक्त किए जाते हैं —

(a) Some judges go on long-term leave

कुछ न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं

(b) No one is available for permanent appointment

स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता

(c) There is an extraordinary increase in the cases pending before the court / न्यायालय में लंबित मामलों में असाधारण वृद्धि हो जाती है

(d) There is no quorum of judges for any session of the court

न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता





Practice Questions

The appointment of ad-hoc judges in the Supreme Court is inspired by the judicial system of which country?

सर्वोच्च न्यायालय में एड-हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है?

- a) Australia / ऑस्ट्रेलिया
- b) Canada / कनाडा
- c) USA / अमेरिका
- d) France / फ्रांस





Practice Questions

Against which judge of the Supreme Court did the impeachment motion brought in the Lok Sabha on 11 May, 1993 fail?

11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध असफल रहा?

- a) Justice Kuldeep Singh / न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह
- b) Justice V. P. Jeevan Reddy / न्यायमूर्ति वी. पी. जीवन रेड्डी
- c) Justice V. Ramaswami / न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी
- d) Justice S. P. Bharucha / न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा





Practice Questions

Which of the following Chief Justices of India acted as President?

निम्नलिखित में से किस भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया?

- a) Justice S. Hidayatullah / न्यायमूर्ति एस. हिदायतुल्लाह
- b) Justice Mehar Chand Mahajan / न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन
- c) Justice P. N. Bhagwati / न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती
- d) Justice B. K. Mukherjee / न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी





Practice Questions

Which language is used for judicial work in the Supreme Court?

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है?

- a) Hindi / हिंदी
- b) English / अंग्रेज़ी
- c) Both Hindi and English / हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों
- d) Any language included in the 8th Schedule / आठवीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा





Practice Questions

In judicial review, the court has the following rights —

न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय के पास निम्नलिखित अधिकार होते हैं —

(a) If any law or order is against the Constitution, then declaring it unconstitutional / यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध हो, तो उसे असंवैधानिक घोषित करना

(b) Reviewing the orders of lower courts

निचली अदालतों के आदेशों की समीक्षा करना

(c) Hearing appeals against the decisions of lower courts

निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना

(d) Examining the law from the point of view of whether the prescribed procedure has been followed in making it / यह जाँचना कि कानून बनाते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं





Practice Questions

Which of the following cases cannot be filed directly in the High Court?

निम्नलिखित में से कौन-सा मामला सीधे उच्च न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता?

- a) Dispute between two or more States / दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद
- b) Case against violation of Fundamental Rights / मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला
- c) Property of a person being forcibly taken over by another / किसी व्यक्ति की संपत्ति को दूसरे द्वारा जबरन कब्जा करना
- d) Both (a) and (b) / (a) और (b) दोनों





Practice Questions

To whom is a mandamus issued by the Supreme Court?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परमादेश (Mandamus) किसे जारी किया जाता है?

- a) To an officer to carry out government orders /
किसी अधिकारी को सरकारी आदेशों का पालन कराने के लिए
- a) To the Prime Minister to dissolve the cabinet / प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए
- b) To a company to increase wages / किसी कंपनी को वेतन बढ़ाने के लिए
- c) To the government to pay the salaries of employees /
सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए





Practice Questions

According to the National Human Rights Commission Act 1993, who among the following can become the Chairman of this Commission?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है?

- a) Any serving judge of the Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी कार्यरत न्यायाधीश
- b) Any serving judge of the High Court / उच्च न्यायालय का कोई भी कार्यरत न्यायाधीश
- c) Only retired Chief Justice of India / केवल सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश
- d) Only retired Chief Justice of High Court / केवल सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश



Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	B	C	B	A	B	C	B	C	D	D	D	C	A	B	A	A	A	C

